मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा पंचम सत्र

फरवरी-मार्च,2015 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी,2015

(1 फाल्गुन, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 5] [अंक- 3]

मध्यप्रदेश विधान सभा

शुक्रवार,दिनांक 20 फरवरी,2015

(1 फाल्गुन, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्र) – आरिफ जी बहिष्कार किया है.

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) – आरिफ अकील जी का बहिष्कार है.

श्री आरिफ अकील – अध्यक्ष जी, इनकी जानकारी में बता दीजिये कि मेरी पार्टी का सचेतक कौन है मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ?

डॉ.नरोत्तम मिश्र – आप अपनी पार्टी में क्या हैं यही बता दें.

श्री आरिफ अकील – मात्र सेवक.

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

1. (*क्र. 545) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत जलसंसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु अनेक स्थलों का सर्वे कार्य सम्पन्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्राक्कलन प्रस्तुत किये है, क्या उसमें कुछ योजनाएँ जलसंसाधन विभाग की ओर से साध्यता की सूची में भी दर्शाई गई है ? जैसे पार्वती नदी सेमलापार बैराज, सूकड़ नदी पर भोजपुरिया बैराज, लसूल्डियागुर्जर बैराज, कालियादेह

तालाब, लुहारी तालाब, सोनकच्छ तालाब व कुण्ड़ीखेड़ा तालाब, जामी तालाब, खेजड़ामहाराजा तालाब आदि साथ ही संभागीय कार्यालय नरसिंहगढ़ से भी कुछ योजनाऐं साध्यता हेतु शासन को प्रस्तुत की गई है ? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त साध्यता प्राप्त परियोजनाओं में से क्या आगामी वार्षिक बजट में वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की जावेगी ? विशेषकर पार्वती नदी पर सेमलापार बैराज जो कम लागत में लगभग 600 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता निर्मित करता है, को विशेष प्रकरण मानकर स्वीकृति दी जाएगी तथा इसी प्रकार सूकड़ नदी पर भोजपुरिया बैराज की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ? (ग) उपरोक्त सहित क्या सभी लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु वर्तमान बजट सत्र में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में पार्वती नदी पर सेमलापार बैराज, सूकड़ नदी पर भोजपुरिया बैराज, लसूडियागुर्जर बैराज, कलियादेह तालाब, लुहारी तालाब, सोनकच्छ तालाब व कुण्डीखेड़ा तालाब, जामी तालाब, खेजड़ा महाराजा तालाब परियोजनाएं सर्वेक्षित हैं। (ख) एवं (ग) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति विचाराधीन नहीं है।

श्री नारायण सिंह पंवार – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा में अनेक परियोजनाएं सर्वेक्षित होकर शासन के पास जमा हैं. इसमें मैंने विशेषकर चार-पांच तालाबों का जिक्र किया है और उसमें भी एक पार्वती नदी पर सेमलापार बैराज औऔर एक सूकड नदी पर भोजपुरिया गांव के पास बैराज जो अत्यंत आवश्यक है. उस क्षेत्र में लंबे समय से किसान इसकी मांग कर रहे हैं. जमीन सूखी पड़ी है और छोटी-छोटी लागत की परियोजनाएं हैं. मैं माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार तो किया कि यह शासन के पास सर्वेक्षित है लेकिन वित्तीय अभाव में इनकी स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है. मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में कोई घोषणा करें.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय, ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र में 9 परियोजनाएं थीं. जिसमें से 6 परियोजनाएं तो अलग-अलग कारणों से असाध्य पाई गईं. तीन योजनाएं जिनका माननीय विधायक जिक्र कर रहे हैं सेमलापार बैराज पार्वती नदी पर, भोजपुरिया बराज सूकड नदी पर और लसूडियागुर्जर बैराज इनके बनाने की बात कही है. हमें अपने वित्तीय संसाधन देखने पड़ते हैं. पहले जहां हमारा बजट 1600 करोड़ का रहता था. पिछले साल हमने लगभग 3250 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग के लिये रखे किन्तु इसके बावजूद भी लगा कि कम पड़ेगा तो इस राशि को बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपये किया है और आगामी बजट में भी संभावना है कि हम बजट को बढ़ाएंगे. उस बजट के अनुसार जितनी भी हमारी लंबित परियोजनाएं हैं और जो योजनाएं हैं उनको देखते हुए हम काम करेंगे. जब भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे. निश्चित तौर पर ब्यावरा क्षेत्र में काम कराया जायेगा.

पावर प्लांट हेतु भूमि का अधिग्रहण

2. (*क्र. 2) श्री दिव्यराज सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत- डभौरा में पावर प्लांट स्थापित कराने के उद्देश्य से कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गई है ? यदि हाँ, तो किस कंपनी के द्वारा अधिग्रहीत की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त प्रस्तावित स्थल में पावर प्लांट स्थापित किये जाने की क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है ? यदि हाँ, तो कब तक पावर प्लांट का कार्य शुरू कर दिया जायेगा एवं कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कलेक्टर रीवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार म.प्र. शासन द्वारा कोई भी भूमि राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित नहीं की गई है । किन्तु प्रासपेरस एनर्जी लिमिटेड द्वारा बेणूगोपाल धूत पिता नन्दगोपाल धूत, मुम्बई, महाराष्ट्र एवं मेसर्स एक्सेल पोमिन लिमिटेड नागपुर, महाराष्ट्र द्वारा, रजिस्टर्ड से विक्रय पत्र कृषकों से भूमि क्रय की गई है जिसका प्रयोजन स्पष्ट नहीं है । (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में उक्त प्रस्तावित स्थल में पावर प्लांट स्थापित किये जाने बाबत् निम्न कंपनियों से माह अक्टूबर, 2010 में म.प्र. शासन के साथ समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं :- 1. मे. अभिजीत वेंचर लिमिटेड (एस. पी.वी. एक्सेल पाउमिन लिमिटेड) नागपुर 2. मे. विडियोकोन इंडस्ट्री लिमिटेड औरंगाबाद (मे. प्रोसपेरस इनर्जी प्रा. लिमिटेड) । उपरोक्त दोनों कंपनियों द्वारा पावर प्लांट स्थापित किये जाने हेतु राज्य शासन से क्रियान्वयन अनुबंध आज दिनांक तक हस्ताक्षरित नहीं किया गया है । उपरोक्त परियोजनायें प्रारंभिक स्तर पर ही होने के कारण वर्तमान में कार्य प्रारंभ/पूर्ण होने की तिथि बताना संभव नहीं है ।

श्री दिव्यराज सिंह (सिरमौर) :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा है कि क्या डभौरा क्षेत्र में हमारी सरकार ने कोई जमीनें पावर प्लांट खोलने के लिये जमीनें अधिकृत करी है तो उसका जवाब आया है कि अभी कोई भी जमीन सरकार ने अधिकृत नहीं की है, परन्तु दो जमीनें प्रासपेरस एनर्जी लिमिलेट ऐक्सल पोमिने लिमिटेड ने रजिस्ट्री के माध्यम से कई जमीने खरीदी हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने जमीनें खरीदी हैं तो अभी तक इनका कोई लक्ष्य पता नहीं चला है कि ये जमीनों का करना क्या

चाहते हैं । मेरा कहना यह है कि आखिरकार इन्होंने जमीनें ली हैं तो यह उन जमीनों का क्या करेंगे और कितनी जमीनें इन्होंने खरीदी हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इन कम्पनियों ने पावर प्लांट लगाने के उद्देयय से वहां पर कृषकों से जमीनें खरीदी हैं और ऊर्जा विभाग से उन्होंने एमओयू भी साईन 2010 में किया था। लेकिन इम्प्लीमेंटन एग्रीमेंट इसलिये साईन नहीं कर पाये कि कोयला जिसके आधार पर वह प्लांट लगाया जा सकता है वह कोयला उनको नहीं मिल पाया है । एक कंपनी जो एक्सेल पावर लिमिटेड है उसका समझौता तो समाप्त हो गया है, लेकिन दूसरी कंपनी अभी भी कोयला प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। उनको यदि कोयला मिलेगा तो वह वहां पर पावर प्लांट एक लगेगा ।

श्री दिव्यराज सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जवाब के दूसरे भाग में कहा गया है कि दो कंपनियां अभिजीत वेंचर लिमिटेड और विडियोकान इंडस्ट्री लिमिटेड को पावर प्लांट के लिये समझौता 2010 में किया गया था । परन्तु इसकी कार्यवाही अभी तक नहीं हो पायी है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इसकी कार्यवाही किसलिये रूकी हुई है और यह कब तक शुरू हो पायेगा।

श्री राजेन्द्र शुक्ल :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि एमओयू होता है, एमओयू के बाद इम्प्लीमेंटन एग्रीमेंट होता है जिसमें की उनको माईल स्टोल अचीव करने होते हैं, यदि उन्होंने टीओआर पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त कर लिया, यदि उन्होंने निश्चित जमीन खरीद ली या उन्होंने जल का आवंटन प्राप्त कर लिया तो इंप्लीमेंटशन एग्रीमेंट होता है और कोयले के उसके आधार पर उनकी जब एलोकेशन का समय था, अब तो एलोकेशन भारत सरकार ने खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खत्म कर दिया अब तो आक्शन होने

लगा है, तो उस समय एलोकेशन में यह इंप्लीमेंटन एग्रीमेंट उनकी मदद करते थे और कोयले का एलोकेशन उनको हो जाया करता था । लेकिन अब ऑक्शन हो रहा है हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं कि ऑक्शन का काम शुरू हो गया है तो ऑक्शन में ये कम्पनियां खास तौर से एक कम्पनी ऑक्शन के लिये बहुत एग्रेसिवली प्रयास कर रही है और यदि ऑक्शन में यदि इसको कोल ब्लाक मिल जाता है तो जरूर यह पावर प्लांट आयेगा, ऐसी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं और हम अपने विभाग से संबंधित कम्पनी से यह प्रयास भी करेंगे कि वह कोल ब्लाक प्राप्त करने के बाद डभौरा में जरूर पावर प्लांट लगाये ।

लंबित सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति

3. (*क्र. 221) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2011 से जनवरी 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले की कौन-कौन सी सर्वेक्षित सिंचाई योजनायें, बैराज, स्टापडेम किस-किस स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित है ? उक्त योजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जायेगी ? (ख) उक्त योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनायें भारत सरकार के पास लंबित है ? उक्त योजनाओं की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये ? (ग) जनवरी 2015 की स्थिति में उक्त जिलों की कौन-कौन सी योजनाओं का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है तथा कौन-कौन सी निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य अपूर्ण है तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा, समयावधि बतायें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) निरंक । सर्वेक्षित परियोजनाएं असाध्य पाए जाने के कारण स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है । (ख) निरंक । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।(ग) सर्वेक्षणाधीन परियोजना संख्या निरंक है । रायसेन जिले में सेमसरी मध्यम परियोजना एवं नगपुरा नगझिरी लघु सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है । देवास जिले में

दतूनी मध्यम एवं दुधवास बैराज परियोजना निर्माणाधीन है । मध्यम परियोजनाएं 5 से 7 वर्ष में और लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के वर्ष के उपरांत 2 वर्षो में पूर्ण करने की नीति है । निर्माण कार्य पूर्ण कराना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, वन संबंधी अनुमति भूमि की उपलब्धता तथा निर्माण एजेंसी की क्षमता पर निर्भर होने से पूर्णता के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

श्री चंपालाल देवड़ा (बागली) :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं । क्योंकि मैंने पूरे देवास जिले की सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाही थी । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद्ध परियोजना तीन चार साल से अटकी पड़ी है और मंत्री जी के जवाब में आया है कि सर्वे के अनुसार असाध्य पाया गया क्या मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में भोपाल से किसी अधिकारी को मेरे साथ दौरा कराकर और सर्वे कराकर सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत कराई जायेंगी।

श्री जयंत मलैया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि रायसेन जिले की 19 परियोजनाओं का हमने सर्वे कराया था और ये 19 ही परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं जल ग्रहण कम पाये जाने के कारण असाध्य पायी गयी और शेष जो 17 परियोजनाएं थीं इसमें लागत अधिक होने के कारण इन्हें असाध्य पाया गया। परन्तु आपके पास काई ऐसी परियोजनाएं हो तो निश्चित तौर पर भोपाल से आपके सा अधिकारी भेजने के लिये सहमत हैं। आप जगह दिखा दें और अगर वह जगह उचित पायी जायेगी और वह साध्य होगी तो फिर उसके बारे में विचार किया जायेगा।

श्री चंपालाल देवड़ा :- धन्यवाद् ।

प्रश्न संख्या- 4 (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या-5 (अनुपस्थित)

6. (*क्र. 313) श्री संजय पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि (बॉणसागर डूब क्षेत्र भू-अर्जन यूनिट क्र. 1) कटनी जिले के तहसील विजयराघवगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरी से इसके आश्रित ग्राम चौरा कनेरा का संपर्क बॉणसागर परियोजना के जल भराव के कारण कट गया है ? (ख) क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों से उक्त दोनों ग्रामों की जनता खाद्यान्न एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है तथा बीमार व्यक्ति चिकित्सालय नहीं पहुँच पाते इसके लिए कौन दोषी है ? (ग) प्रश्नांश (क) ग्रामों को प्रश्न दिनांक तक विस्थापित न किये जाने के क्या कारण है ? क्या दोनों ग्रामों को विस्थापित किया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ? (घ) क्या तत्कालिक सहायता हेतु ग्राम चौरी से चौरा कनेरा मार्ग पर पुल निर्माण कर आवागमन बहाल किया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) बाणसागर जलाशय पूर्ण स्तर तक भरने पर कुछ समय के लिए ग्राम चौरी एवं चौरा कनेरा मार्ग का संपर्क जलाशय के बेक वाटर से अवरूद्ध हो जाता है । (ख) जी नहीं, वर्षाकाल में वैकल्पिक व्यवस्था है । (ग) मार्ग डूब में आने के कारण आबादी का विस्थापन किया जाना शासन की नीति नहीं होने के कारण । जी नहीं । आबादी डूब क्षेत्र में नहीं होने के कारण । (घ) वर्षा ऋतु के पूर्व पुलिया निर्माण कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

श्री विश्वास सारंग—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि जो उत्तर आया है उसमें कहा गया है कि पुलिया के निर्माण के निर्देश दिये गये हैं, यह क्लियर नहीं हो रहा है मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ग्राम चौरी से चौरा कनेरा मार्ग पर ही पुल निर्माण के निर्देश दिये गये हैं यदि दिये गये हैं तो इसकी क्या लागत है.

श्री जयंत मलैया—अध्यक्ष महोदय, माननीय संजय पाठक जी ने बाणसागर के बेक-वॉटर से सड़क डूबने के बारे में प्रश्न पूछा है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मार्ग के उन्नयनीकरण का काम प्रारंभ हो चुका है ग्राम चौरी से पिपरा तक जो पुराना मार्ग है उसका

उन्नयनीकरण किया जा रहा है और इसकी उंचाई दो मीटर बढ़ाई जा रही है. जैसा आपने जिक्र किया है ग्राम चौरी और चौरा कनैरा के मध्य पुलिया एवं रोड का उन्नयन का कार्य कर ऊंचाई बढ़ाई जा रही है. यह 610 लाख 92 हजार रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. मार्ग का कार्य 50 प्रतिशत और पुलिया का कार्य 10 प्रतिशत पूरा हो चुका है.

श्री विश्वास सारंग—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है बाणसागर परियोजना में विजयराघवगढ़ का बहुत डूब क्षेत्र आता है. मंत्रीजी से निवेदन है कि वर्षा ऋतु के पहले वे अधिकारिक तौर पर सर्वे करवा लें और जहां-जहां डूब क्षेत्र है वहां वर्षाकाल में ग्रामीणों को जो परेशानियां होती हैं उनका निदान हो जाये.

श्री जयंत मलैया—अध्यक्ष महोदय, पुलिया और सड़क का निर्माण वर्षाकाल से पहले हो जायेगा.

रेत की कीमत तय करने के नियम/मापदण्ड

7. (*क्र. 562) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में रेत की कीमत तय करने के क्या-क्या नियम/मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारित किये गये है ? वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 में क्या-क्या नियम/मापदण्ड निर्धारित थे ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) प्रदेश में रेत की कीमत बढ जाने एवं अवैध उत्खनन/परिवहन के कितने प्रकरण वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 15 प्रश्न तिथि तक शासन/जिला प्रशासनों के समक्ष आये ? प्रकरणवार चम्बल संभाग की जानकारी दें ? (ग) (ख) के संदर्भ में यह भी बताएं कि क्या यह सत्य है कि रेत के अवैध उत्खनन कर्ताओं के द्वारा शासकीय अमले पर वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 15 प्रश्न तिथि तक हमले भी किये गये ? अगर हाँ तो किस-किस स्थान पर एवं कब-कब ? (घ) क्या कार्यवाही राज्य शासन/जिला प्रशासनों के द्वारा उक्त हमलावरों के विरूद्ध कब-कब की गई ? प्रकरणवार चम्बल संभाग की घटनावार जानकारी दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) रेत की कीमत तय करने हेतु कोई नियम / मापदण्ड निर्धारित किए जाने के प्रावधान खनिज नियमों में नहीं हैं । अत: प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरणों की मुरैना जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में, श्योपुर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ-1' में तथा भिण्ड जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ-2' में दर्शित है । (ग) प्रश्नाधीन अवधि में अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा शासकीय अमले पर किए गए हमले की मुरैना जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' में, भिण्ड जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब-1' में दर्शित है, जिसमें स्थान एवं घटना दिनांक का विवरण अंकित है । श्योपुर जिले में दिनांक 27.08.2014 को ग्राम बालापुर थाना मानपुर के पास सीप नदी के पुल पर शासकीय अमले पर हमला किया गया था । हमलावरों के खिलाफ थाना मानपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक को ही दर्ज कराई गई तथा पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण जिला न्यायालय में विचाराधीन है । (घ) वांछित जानकारी प्रश्नांश 'ग' के उत्तर में पुस्तकालय में रखे परिशिष्टों में दर्शित है ।

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि रेत की रायल्टी और कीमत के संबंध में जो नियम बनना चाहिए वह अभी तक नहीं बने हैं. 5-7 वर्ष पहले रेत के एक ट्रक की कीमत लगभग ढाई से तीन हजार रुपये हुआ करती थी. आज की स्थिति में रेत के एक ट्रक की कीमत तीस से पैंतीस हजार रुपये है. इससे आमजन को अपना घर बनाने में परेशानी हो रही है. रेत प्राकृतिक रुप से उपलब्ध है सीमेंट जो कि कारखाने में बनाया जाता है इसकी कीमत दो सौ रुपये थी वह आज भी ढाई सौ या तीन सौ रुपये ही है. क्या कारण है कि रेत की कीमत निरन्तर बढ़ती गई जो ट्रक ढाई-तीन हजार रुपये का था वह तीस-पैंतीस हजार रुपये का हो गया. मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शासन इसमें कोई नियम बनाएगा, शासन रेट निर्धारित करेगा.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसी चिन्ता व्यक्त की है इस पर हम लोग जरुर विचार करेंगे कि कीमतों के बारे में क्या किया जा सकता है. हालांकि रेत में यह परम्परा रही है कि सरकार अभी तक रायल्टी लिया करती है, मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके आधार पर उसकी कीमत तय होती है लेकिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इनके नियम बनाने की एक समय-सीमा निर्धारित कर दी जाए कि कब तक नियम बन जायेंगे नियम बनाना शासन के हाथ में है. इसमें नियम बनाने की समय-सीमा निर्धारित कर दी जाए और नियम बन जाने के बाद यह तय हो जाये कि नियम अनुसार ही पैसे लिए जायेंगे.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग जिलों में अलग-अलग प्रकार के रेट की बातें ध्यान में आती हैं. कहीं पर दस हजार रुपये ट्रक है कहीं बारह हजार रुपये ट्रक है कहीं पन्द्रह हजार रुपये ट्रक है. जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि उनके यहां तीस-पैंतीस हजार रुपये ट्रक है इसकी भी मैं जांच करा लूंगा. जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस पर विचार करेंगे अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं. रेत का ऑक्शन करने का काम हमारा है रेत का टेंडर करने का काम हमारा है लेकिन मार्केट में रेट फिक्स करने का काम अभी हमारा नहीं है इसमें क्या हो सकता है इस पर विचार करेंगे.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी— धन्यवाद.

अवैध उत्खनन एवं परिवहन

8. (*क्र. 493) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में रेत, पत्थर एवं मुरम की कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी खदानें हैं ? जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार बतायें ? (ख) खनिज विभाग सागर को 1 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2015 तक मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बनायी गयी सड़क एवं शासकीय भवनों में उपयोग की गयी रेत, पत्थर एवं मुरम से रॉयल्टी के रूप में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? अलग-अलग बतावें ? (ग) खनिज विभाग सागर के द्वारा 1 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2015 तक रेत, पत्थर एवं मुरम के अवैध उत्खनन के एवं परिवहन के कुल कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये ? किस-किस के विरूद्ध और कब-कब ये प्रकरण पंजीयत हुये हैं ? जानकारी प्रश्नांश (क) अनुसार अलग-अलग दी जाये ? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार पंजीबद्ध किये गये प्रकरणों में कब-कब, किस-किस के विरूद्ध और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्यों ? कारण बतायें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में दर्शित है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' में दर्शित है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' एवं 'द' में दर्शित है । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं 'द' में उल्लेखित है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्रीमती पारूल साहू केशरी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके लिए मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देती हूँ. मेरे विधान सभा क्षेत्र के अँतर्गत राहतगढ़ में मीरखेड़ी है उस क्षेत्र में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक अविकसित खदानों से किए जा रहे अवैध उत्खनन पर मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि खनिज विभाग की एक टीम बनाकर उसको देखा जाए क्योंकि सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में वहाँ अधिक उत्खनन होता है. मंत्री जी, इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे शासन को लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, अवैध उत्खनन को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इसलिए माननीय सदस्या ने जो बातें कही हैं, वहाँ पर एक टीम भेजकर उस पर कार्यवाही करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न क्रमांक 9 श्री यशपाल सिंह सिसौदिया.

विद्युत कम्पनी द्वारा ली जा रही सुरक्षा निधि

9. (*क्र. 448) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि के नाम पर विद्युत देयकों में किश्त राशि के रूप में राशि प्राप्त की जाती है ? (ख) यदि हाँ, तो सुरक्षा निधि राशि किस आधार पर विद्युत उपभोक्ता से कब-कब प्राप्त की जाती है व विद्युत कम्पनी द्वारा इस राशि को प्राप्त किये जाने का क्या मापदण्ड हैं ? (ग) प्रश्न (क) अनुसार विद्युत देयक में प्राप्त की जाने वाली सुरक्षा निधि का उपयोग विद्युत कम्पनी द्वारा किस कार्य में किया जाता है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । (ख) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (आर जी 17 (1) /वर्ष 2009) के प्रावधानानुसार विद्यमान उपभोक्ताओं की विगत वित्तीय वर्ष की खपत के आधार पर प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में सुरक्षा निधि की गणना की जाती है । पुनरीक्षित गणना के अनुसार यदि उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि लेना निकलती है तो आगामी तीन विद्युत देयकों में किश्त के रूप में उक्त अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि उपभोक्ता से प्राप्त की जाती है । यदि उक्तानुसार गणना की गई पुनरीक्षित सुरक्षा निधि की राशि पूर्व से जमा सुरक्षा निधि से कम होती है तो ऐसी स्थिति में अंतर की राशि उपभोक्ता के आगामी तीन माह के विद्युत देयकों में समायोजित कर दी जाती है । नवीन उपभोक्ताओं से भी सुरक्षा निधि की राशि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (आरजी-17 (1) वर्ष 2009) के प्रावधानों के अनुसार जमा कराई जाती है । (ग) सुरक्षा निधि के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग विद्युत कंपनी की कार्यशील पूंजी (वर्किंग केपिटल) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है ।

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान चाहूँगा. अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ताओं से कंपनियों के जो राजस्व घाटे हैं या उनके ब्याज ऋण का जो चुकारा है, कंपनियों के द्वारा कार्यशील पूँजी में सुरक्षा निधि का उपयोग किया जाता है. अध्यक्ष महोदय, विभाग ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि कंपनियों की सुरक्षा निधियों की वसूली की जाती है और 3 माह में देयकों की किश्त के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा निधि उपभोक्ता से की जाती है. अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा गया है कि अधिकांश समय में बिलों के अंतरों का समायोजन का प्रावधान तो है पर यह समय पर सुनिश्चित नहीं होता तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि समय पर समायोजन की सुनिश्चितता हो जाए क्योंकि उपभोक्ताओं को या तो चक्कर काटना पड़ते हैं या उनको विभाग की ओर से ठीक ढंग से जवाब नहीं मिलता है. कंपनियों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए यह इस प्रकार से कार्यशील पूँजी में इसका उपयोग किया जाता है और जहाँ तक सुरक्षा निधि का सवाल है तो सुरक्षा निधि में आज ही की प्रश्नोत्तरी में प्रश्न क्रमांक 18 में विभाग ने स्वीकार किया है कि मृतकों को कोई मुआवजा कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता है. जहाँ एक ओर सुरक्षा के नाम से हम राशि वसूल कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर मृतक के अंग भंग होने पर या मृतक की जान चले जाने के कारण से विभाग किसी भी स्थिति में, बहुत कम, अपवादस्वरूप कभी कोई मानवाधिकार आयोग में चला जाता है या कोई कलेक्टर से अवार्ड पारित कर लेता है, इक्का-दुक्का किस्से होते हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी चाहूँगा कि सुरक्षा निधि को किस प्रकार से मृतक के परिजनों को दिलासा देने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए, प्रावधान करें ताकि सिर्फ इस बात को लेकर के नहीं कि कंपनियों के घाटे को पूरा करने के लिए कार्यशील पूँजी में इसका उपयोग किया जाएगा.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सुरक्षा निधि, किसी भी कनेक्शनधारी को कनेक्शन लेने के समय जमा कराई जाती है और साल भर में जितना कंजम्पशन होता है उसके आधार पर, वह सिर्फ 3 महीने, समय सीमा इसके लिए निश्चित है. अप्रैल में समीक्षा होती है कि पिछले वर्ष कितना कंजम्पशन हुआ और उसके हिसाब से सुरक्षा निधि में और पैसा लेना है कि नहीं लेना है कि वापस करना है. यह सिर्फ 3 महीने में ही तय कर दिया जाता है, तो इसके लिए समय सीमा निश्चित है, जैसी आपने मांग की है. यह सुरक्षा निधि, दुर्घटना से अलग है. यह तो कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो कि डिस्कनेक्शन के समय वापस कर दी जाती है और दुर्घटना से, इसकी जो आपने बात कही है, वह एक अलग विषय है, जिसके बारे में अभी आर बी सी में कोई प्रावधान नहीं है. जब कभी कोई दुर्घटना इस प्रकार से होती है तो मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान या अन्य किसी फंड से राहत दिलाने की कोशिश की जाती है.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- अध्यक्ष महोदय, फिर भी कंपनियों के घाटे की पूर्ति करने के लिए कार्यशील पूँजी के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा चूँकि आज प्रश्न आ गया है, सुरक्षा का प्रश्न है उपभोक्ताओं की मृत्यु पर, तो उसके बारे में भविष्य में इस प्रकार की कोई एक नीति बना लें.

अध्यक्ष महोदय-- इससे वह उद्‌भूत नहीं होता है.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी, आपको उत्तर देना हो तो दे दें.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हजारों लोग बिजली के करंट से और...

अध्यक्ष महोदय-- अब आगे उसका एक प्रश्न है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—अध्यक्ष महोदय, लाइनमेन चले जाते, हेल्पर चले जाते हैं....

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, इसको बता दें और यह सुरक्षा निधि का क्या उद्देश्य है इस पर पहले भी चर्चा हुई है कि आरबीसी में प्रावधान करेंगे.मुख्यमंत्री जी ने कहा इस पर विचार करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- इस पर आगे भी प्रश्न आ रहा है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल--- अध्यक्ष महोदय, यदि कनेक्शनधारी के द्वारा कोई डिफाल्ट होता है तो सुरक्षानिधि जप्त करने के लिए होती है और यदि कोई डिफाल्ट नहीं होता है तो वापस करने के लिए होती है ,किसी दुर्घटना में कंपन्सेट करने के लिए यह राशि नहीं होती है. जितने भी कांट्रेक्ट होते हैं उसमें सिक्योरिटी डिपाजिट से इस प्रकार के काम नहीं किये जा सकते हैं कि आप उससे मुआवजा देने का काम कर सके.

प्रश्न संख्या—10 (अनुपस्थित)

पेट्रोल, डीजल एवं सिगरेट पर वेट टैक्स की दर

11. (*क्र. 529) श्री बाला बच्चन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-04-2012 से 20-01-2015 तक पेट्रोल, डीजल, LPG गैस एवं सिगरेट पर वेट किस प्रतिशत दर से लागू किया गया ? इनसे कितनी आय अनुमानित थी एवं इसके समक्ष कितनी आय प्राप्त हुई ? माहवार, वर्षवार बताएं ? (ख) क्या यह सच है कि पेट्रोल, डीजल पर वेट बढ़ाने से इनकी आय में कमी आई है ? यदि हाँ, तो ऐसा निर्णय लेने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ? (ग) क्या पेट्रोल, डीजल पर शिक्षा उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । विभाग द्वारा वस्तुवार आय का अनुमान नहीं किया जाता है । मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 में विहित प्रारूप में प्रस्तुत विवरण पत्रों में कर देयता के संबंध में वस्तुवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है । (ख) पेट्रोल, डीजल पर वेट बढाने से इनकी आय में कमी नहीं आई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) जीं नहीं.

परिशिष्ट – "एक"

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि जो आपने पेट्रोल-डीजल पर 4 प्रतिशत वैट टेक्स बढ़ाया है और सिगरेट पर वैट टैक्स कम किया है. इससे मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी खजाने पर इसका कितना असर पड़ा है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं ,गुजरात में 1 रुपये 12 पैसे पेट्रोल और डीजल पर मध्यप्रदेश की तुलना में कम रेट है, राजस्थान में 4 रुपये और महाराष्ट्र में 2 रुपये 12 पैसे मध्यप्रदेश की तुलना में कम रेट है तो मध्यप्रदेश की तुलना में इतना अंतर है, इस कारण हमारे यहाँ के जो बड़े बस आपरेटर या ट्रांसपोर्टर हैं, वह हमारे यहाँ से डीजल नहीं ले रहे हैं इसका सरकारी खजाने पर बड़ा असर पड़ रहा है . मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी हम मध्यप्रदेश में भी 62 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल पर हम बचा सकते हैं .34 पैसे प्रतिलीटर हम डीजल पर बचा सकते हैं और मध्यप्रदेश के उपभोक्ताओं को हम लाभ पहुंचा सकते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कंपनी द्वारा डीलर का जो कमीशन होता है उसको कम करके उस पर यदि आप वेट टेक्स लगाएं उसके बाद आप रिटेल प्राइज रेट तय करेंगे तो 62 पैसे प्रतिलीटर पेट्रोल पर बच पाएंगे और 34 पैसे डीजल पर प्रतिलीटर बचेगा जिससे कि मध्यप्रदेश के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा .क्या आप

इस तरह का सिस्टम बनाएंगे जिससे कि मध्यप्रदेश के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंच सकें क्योंकि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के भगवान बने हुए हैं , किसानों के मसीहा बने हुए हैं.

अध्यक्ष महोदय-- आपका प्रश्न आ गया.

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय,या ये भाषण दे या प्रश्न पूछ लें, क्या पूछ रहे हो आप. पूछ लें.

श्री रामनिवास रावत--- मंत्री जी ,आप इतनी उत्तेजना में क्यों आ गये.

श्री कमलेश्वर पटेल--- मंत्री जी को गुस्सा भी आता है यह पहली बार देखा है.

श्री जयंत मलैया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी वेट लगता है वह मैक्सिमम रिटेल प्राइज के ऊपर लगता है मैं यहाँ पर आपको बता दूं , आप तो यह भी कह सकते हो कि डीलर के ऊपर से निकाल दो. आप तो जानते हैं कि जब विदेशों से क्रूड आइल आता है तो उसका डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है उसके बाद जब प्रोसेसिंग यूनिट से निकल कर आता है तब एक्साईज लगती है उसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर डिपो में आता है , उस पर ट्रांसपोर्टेशन लगता है और फिर डिपो से जो रिटेल पर जाता है वहाँ ट्रांसपोर्ट लगता है, उसके ऊपर वेट लगता है यह कायदा है.

श्री बाला बच्चन--- मंत्री जी मैंने यह नहीं पूछा है. माननीय मंत्री जी, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उसकी तुलना में डीजल औऱ पेट्रोल में ज्यादा रेट पर बिकता है.

अध्यक्ष महोदय--- आप तो सीधे प्रश्न कर दें.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे-सीधे यह पूछ रहा हूं कि मैंने जिन पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया है कि उनकी तुलना में हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल ज्यादा महंगा है

जिस कारण से सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है क्या उनकी तुलना में डीजल और पेट्रोल के रेट कम करके मध्यप्रदेश के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएंगे.

श्री जयंत मलैया-- जी नहीं.

श्री मुकेश नायक--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न बनता है. मै मूल प्रश्नकर्ता हूं.

अध्यक्ष महोदय-- आपने दो प्रश्न पूछ लिये हैं भाषण भी दे दिया है और मैंने मुकेश नायक जी को एलाऊ किया है.

श्री मुकेश नायक-- माननीय अध्यक्ष महोदय,आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्टरनेशनल मार्केट में पर गैलन क्रूड आइल की प्राइज क्या है और मध्यप्रदेश में क्या है? दूसरा प्रश्न मंत्री महोदय से मेरा यह है कि मध्यप्रदेश सरकार ने 6 महीने में क्या सात बार वेट टैक्स बढाया है या नहीं बढ़ाया है?

अध्यक्ष महोदय-- यह इससे कहां उद्भूत हो रहा है?

श्री जयंत मलैया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली चीज तो मध्यप्रदेश में क्रूड आइल होता नहीं है.

श्री मुकेश नायक- मैंने यह पूछा है कि इन्टरनेशनल मार्केट में क्रूड आइल की प्राइज क्या है और मध्यप्रदेश में क्या है?

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री(श्री कैलाश विजयवर्गीय)-- मध्यप्रदेश की विधानसभा है और इन्टरनेशनल मार्केट का प्रश्न यहां पूछ रहे हो.

श्री मुकेश नायक-- आपकी तरह पूरे मध्यप्रदेश के लोग बिना पढ़े लिखे थोड़ी हैं(हंसी)

खनिज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही

12. (*क्र. 375) श्री आरिफ अकील : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल संभाग में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर खनिज के अवैध उत्खनन, भण्डारण, रॉयल्टी चोरी एवं परिवहन के प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं ? (ख) यदि हाँ, तो कितने वाहन स्वामियों के वाहनों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, तथा कितने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार जिलेवार बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । (ख) वांछित जानकारी वर्षवार, जिलेवार संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है ।

परिशिष्ट – "दो"

श्री आरिफ अकील-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर संभाग में किन किन वाहन स्वामियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं. मुझे खाली भोपाल संभाग का ही जवाब मिला और जब विभाग से जवाब बनकर आया तो उसमें परिशिष्ट में लिखा है संभागीय खनिज उड़नदस्ता, भोपाल - होशंगाबाद द्वारा दर्ज अवैध खनिज परिवहन प्रकरण निम्नानुसार है और वह सूची लगायी गयी है लेकिन सूची में जो नाम लिखे हैं वे खाली भोपाल ही भोपाल के हैं तो पहले उसको ठीक करवा लीजिए फिर उसके बाद अगला सवाल पूछूँ या तो आप उनसे यह कह दीजिए कि चिन्तित न हों, मुझे सूची दिला दें

अध्यक्ष महोदय-- आपने भोपाल संभाग का ही तो पूछा है.

श्री आरिफ अकील-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चेक करा लीजिए जो मैंने प्रश्न दिया था उसमें मुझे कोई संशोधन का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्नोत्तर सूची में जो आपका प्रश्न प्रिन्टेड है उसको आप पढ़ दीजिए.

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्ष जी, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि आपसे आर्ग्यूमेंट या बहस कर पाऊं. मैंने जो प्रश्न दिया था वह आपके सचिवालय में उपलब्ध है.

अध्यक्ष महोदय-- तो आपको अलग से लिख के देना चाहिए.

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि होशंगाबाद, भोपाल, जबलपुर संभागों की अवैध परिवहन की सूची आप मुझे अलग से दे देंगे,यह पहला सवाल है और कब तक उपलब्ध करवा देंगे, समय सीमा बता दें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- आज ही उपलब्ध कर देंगे.

श्री आरिफ अकील-- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपने जिस तरह से प्रकरणों की जानकारी दी है और प्रकरणों में कोई भी गाड़ी मध्यप्रदेश में इन संभागों में राजसात नहीं की गई. जब हम अवैध उत्खनन की शिकायत करते हैं और आप गाड़ी राजसात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको मदद दी जा रही है तो क्या उन नियमों पर जोर देंगे जो अवैध उत्खनन में गाड़ियां पायी जाएंगी, उनको राजसात करेंगे?

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज नियम में गाड़ियों को राजसात करने के प्रावधान नहीं है. जुर्माना लगाने का प्रावधान है और वसूली करने का प्रावधान है, जो किया गया है.

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्ष जी, अगर कोई एक लाख रुपये की चोरी कर रहा है और आप उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना करेंगे, इससे तो चोरी बढ़ती जाएगी या तो मेहरबानी करके इसमें संशोधन कर लीजिए जितने का अवैध उत्खनन कर रहा है, रायल्टी की चोरी कर रहा है उतना ही जुर्माना उस पर हो ताकि अवैध उत्खनन बंद हो जाए, क्या इस पर विचार करेंगे?

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- माननीय अध्यक्ष महोदय,यदि एक लाख रुपये की चोरी है तो 20 लाख रुपये की पेनाल्टी लगायी जाती है. पहले या 10 गुना था अब इसको 20 गुना कर दिया गया है. बाकी जो आपने सुझाव दिये हैं उस पर जरुर विचार करेंगे.

राजीव गांधी विद्युतीकरण कार्य की जानकारी

13. (*क्र. 464) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य प्रदेश में किस-किस जिले में सम्पादित किया जा रहा है ? जिलेवार कार्य कर रही निविदाकार फर्मों के नाम बतावें ? जिलेवार पूर्ण किये गये कार्यों का निम्नानुसार विवरण बतावें :- (अ) ग्रामों की संख्या (ब) 11 के.व्ही. लाईन की मात्रा किलोमीटर में (स) वितरण ट्रांसफार्मर की संख्या (द) निम्नदाब लाईन की मात्रा किलोमीटर में (इ) बीपीएल हितग्राहियों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों की संख्या (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कितना कार्य अभी तक कराया जा चुका है ? ग्रामवार कराए गए कार्य का विवरण देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सभी 51 जिलों में कार्य किया जा रहा है । निविदाकार फर्मों के नाम एवं उनके द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों की जिलेवार वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है । (ख) रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 16 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं 140 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर 2519 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी के हितग्राहियों को नि:शुल्क विद्युत

कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। ग्रामवार पूर्ण किये गये कार्य का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

श्री सुखेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न यह था कि हमारे विधानसभा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किन-किन गाँवों में काम हो रहे हैं ? कहां नहीं हो रहे हैं ? जो जानकारी आई है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ. मैं क्षेत्र का भ्रमण जब करता हूँ तो ज्यादातर जगह अभी ऐसी है, जहां पर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के काम अभी संचालित नहीं हैं. मेरे पास नामजद जानकारी है तो जो जानकारी आई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जहां पर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के काम शुरू नहीं हुए हैं, वहां पर कब तक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के काम शुरू करवाए जाएंगे, माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूँ.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मऊगंज विधानसभा जो माननीय सदस्य का क्षेत्र है, इसमें 16 अविद्युतीकृत गाँव थे, जिसका काम पूरा हो गया है और 11 वीं पंचवर्षीय योजना में इतना ही काम करना था. सघन विद्युतीकरण 140 गांवों में करना था, यह काम भी हो गया है और 2519 बी.पी.एल. परिवार के लोगों को नि:शुल्क बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है जो 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना थी. मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपका काम पूरा हो गया है. 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 215 गांव और मंजूर हो गए हैं, जिनमें सघन विद्युतीकरण होना है और 9130 गरीब परिवार के लोगों को नि:शुल्क बिजली का प्रदाय करना है. चूँकि योजना का टेंडर अभी फरवरी में ही फायनल हुआ है, सर्वे का काम पूरा हो गया है और उसमें जब यह काम पूरा होगा तो मैं मानता हूँ कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे.

श्री सुखेन्द्र सिंह -- माननीय मंत्री जी, जहां पर आपके ट्रांसफार्मर लगे हैं, वे ट्रांसफर्मर जब जल जाते हैं तो वहां पर ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होता, इसके बावजूद बार-बार बिल भेजे जा रहे हैं और किसानों को जेल भेजा जा रहा है. मैं नामजद बताता हूँ कि जड़कुड़ कोढ़वा, कैलाशपुर ये सब गांव अब तक भी बिजली विभाग से अछूते हैं, जो आज तक विद्युतीकृत नहीं हो पाए हैं, तो जो जेल भेजे जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर हैं ?

अध्यक्ष महोदय -- आपके प्रश्न में ट्रांसफार्मर्स का जिक्र नहीं है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता.

श्री सुखेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उद्भूत तो नहीं होता लेकिन उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है. यह हर जगह हो रहा है, पूरे जिलों में हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- कोई स्पेसिफिक जगह की बात आप बताएंगे, वहां यदि कोई कमी है तो दूर करेंगे.

अध्यक्ष महोदय -- आप उनको लिख कर दे दें, वे देख लेंगे, जो भी प्राब्लम है.

शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में संचालित संकाय

14. (*क्र. 510) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में विज्ञान, वाणिज्य संकाय का संचालन कब होगा ? (ख) क्या आदिवासी क्षेत्र में छात्र/छात्राओं के शिक्षा के लिये विभाग प्रस्ताव/अनुशंसा के बाद भी संकाय हेतु स्वीकृति नहीं दे रहा है ? (ग) क्या शासन छात्र/छात्राओं को उच्चशिक्षा के लाभ हेतु प्रश्नांश (क) वर्णित संकायों के संचालन का प्रयास करेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः

वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में नवीन विज्ञान, वाणिज्य संकाय प्रारंभ किये जाने की कोई योजना नहीं है । (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री सज्जन सिंह उईके -- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शाहपुर, बैतुल में जो मध्यप्रदेश शासन ने कालेज खोला है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ. कालेज में संकाय के बारे में पूछना चाहता हूँ कि कब तक संकाय खुलेंगे ?

राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा (श्री दीपक जोशी) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे उत्तर में स्पष्ट कह दिया गया है कि वर्तमान में पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों का हमको सुदृढ़ीकरण करना है, इस हेतु पूरी योजना हमारी इसी पर है. साथ ही आदिवासी बाहुल्य शाहपुर को हम महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में उन्नयन करने जा रहे हैं, लगभग 79 छात्रावासों में पद नहीं थे तो पदों को सृजित करके वहां पर बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावासों की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं.

श्री सज्जन सिंह उईके -- मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि स्कूल शिक्षा तक दो विभाग कार्यरत हैं, उसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र में उच्च शिक्षा भी कुछ मदद करेगा क्या ?

श्री दीपक जोशी -- जैसा मैंने बताया कि अभी उच्चतर शिक्षा मिशन के माध्यम से 1000 का बजट आवंटन मांगा है, उस बजट आवंटन के साथ हम इनके लिए और अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे.

बागेडी नदी पर प्रस्तावित डेम की साध्यता रिपोर्ट

15. (*क्र. 10) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बागेडी नदी पर प्रस्तावित स्टॉपडेम, ग्राम भीकमपुर बागेडी, चंदबासला एवं श्रीबच्छ के पास की वर्तमान में साध्यता रिर्पोट की क्या स्थिति हैं ? (ख) ग्राम बाचाखेड़ी, सकत खेड़ी एवं दिवेल में प्रस्तावित तालाब के लिए शासन की क्या योजना हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) चिन्हित स्थान भिकमपुर पर स्टापडेम का निर्माण तकनीकी मापदण्डों पर असाध्य पाया गया है । श्रीबच्छ स्टापडेम की साध्यता रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है । चिन्हित स्टापडेम बागेड़ी एवं चंदलवासा की साध्यता स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सुनिश्चितता नहीं होने से जारी की जाना संभव नहीं हो सका है । (ख) वर्तमान में प्रश्नाधीन परियोजनाएं स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं है ।

श्री दिलीप सिंह शेखावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में लगभग एक लाख दस हजार हेक्टेयर भूमि का रकबा है, जिसमें मात्र 53000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है, साधन बहुत कम हैं. मैंने जो प्रश्न पूछा, उसमें श्रीबच्छ स्टापडेम की साध्यता रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि श्रीबच्छ स्टापडेम की साध्यता रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी ? दूसरा, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ग्राम बाचाखेड़ी, सकत खेड़ी एवं दिवेल के जो प्रस्तावित तालाब हैं, उनका सर्वे आप कब तक करवा लेंगे ? माननीय मंत्री जी से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ग्राम बागेडी और चंदबासला जो बागेडी नदी पर हैं, इनकी साध्यता रिपोर्ट आ गई है, आप वर्ष 2015-16 में अगर इनको स्वीकृत कर देंगे तो आपकी महती कृपा होगी.

श्री जयंत मलैया -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने श्रीबच्छ बैराज और वाचखेड़ी तालाब के बारे में चर्चा की है, इसकी साध्यता रिपोर्ट बनाने के लिए बोल दिया गया है और अतिशीघ्र इनकी साध्यता की रिपोर्ट आ जाएगी. जहां तक बागेडी बैराज और चंदवासला बैराज का प्रश्न है, यह निश्चित तौर से परियोजनाओं की साध्यता तो है, जब भी हमारे पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, इनको हम कराएंगे.

श्री दिलीप सिंह शेखावत- मंत्री जी,श्रीबच्छ स्टापडेम का भी इसमें आया है कि साध्यता रिपोर्ट अभी तैयार नहीं करवायी गई है, अगर उसकी भी हो जाएगी तो अच्छा होगा और एक ..

श्री जयंत मलैया-- दोनों का उल्लेख किया है श्री बराज और वाचाखेड़ी तालाब का.

श्री दिलीप सिंह शेखावत-- एक निवेदन और आपसे करूंगा कि पिछले सत्र में आपने अन्तलवासा तालाब और बनबना तालाब के पाल के मजबूतीकरण और उसके नहरों के विस्तारीकरण का आश्वासन मुझे दिया था , आपकी कृपा होगी अगर इसी वर्ष उसका मजबूतीकरण और नहरों का विस्तारीकरण अगर आप करवा दें और दूसरा एक छोटासा निवेदन और है, पांच वर्ष पूर्व चंबल नदी पर एक डैम स्वीकृत हो गया था लेकिन नगरपालिका की जल आवर्धन योजना के कारण वह पेण्डिंग हो गया था, स्वीकृत है, टेंडर प्रक्रिया भी हो गई थी, अगर ये दो काम आप इसी वर्ष करा देंगे तो ठीक होगा.

श्री जयंत मलैया- जी अध्यक्ष महोदय.

फीडर सेपरेशन के कार्य

16. (*क्र. 85) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने फीडरों का सेपरेशन करने का कार्यादेश ज्योति कन्स्ट्रक्शन कंपनी को किस दिनांक को जारी किया गया है तथा कितनी अवधि कार्य पूर्ण करने हेतु दी गई थी ? (ख) क्या यह सही है कि ज्योति कंपनी को 62 फीडरों के सेपरेशन का कार्य सौपा गया था, जिसमें से केवल 14 फीडरों का कार्य पूर्ण हुआ है, शेष का नहीं ? शेष फीडरों का कार्य कब तक पूर्ण कराया जावेगा ? समय-सीमा बतायें ? (ग) क्या यह सही है कि सेपरेशन फीडर एवं लाईन हेतु लगाये जा रहे पोल (खम्बे) गाड़ने में घटिया स्तर का कार्य कंपनी द्वारा किया गया है, जिससे कई स्थानों पर पोल टेड़े हो गये है, तथा गिर गये है ? (घ) क्या उक्त कार्य की जांच कराई गई है, यदि हाँ, तो दोषी कंपनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि जांच नहीं कराई गई है, तो कब तक जांच कराई जावेगी ? समय-सीमा बतावें ? (ड.) ज्योति कन्स्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कार्यादेश जारी दिनांक से वर्तमान तक कितने ट्रान्सफार्मर लगाये गये तथा कितने खराब हुये ? क्या स्थापित किये जाने वाले ट्रान्सफार्मर घटिया किस्म के होने से बार-बार खराब हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या ट्रान्सफार्मरों की जांच करायेंगे, समय-सीमा बतायें ? (च) वर्तमान में ज्योति कंपनी में कितने ट्रान्सफार्मर खराब हैं, उन्हें कब तक बदला जायेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत ग्वालियर जिले में 115 नंबर 11 के.व्ही.फीडरों, जिसमें ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 42 फीडर भी शामिल हैं, को विभक्त किये जाने का कार्यादेश मे.ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 09.08.11 को जारी किया गया था । जारी कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की प्रभावी दिनांक 20.08.11 थी एवं 18 माह (दिनांक 20.2.13 तक) कार्य पूर्ण किये जाने थे । (ख) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड को 42 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य दिया गया था, जिसमें से उक्त कंपनी द्वारा 14 फीडरों का कार्य पूर्ण किया गया है । शेष फीडरों का कार्य पूर्ण करने हेतु मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है एवं उक्त कार्य अक्टूबर 2015 तक पूर्ण होने की संभावना है । (ग) जी नहीं, तथापि उक्त योजना में किये जा रहे कार्यों के निरीक्षण हेतु नियुक्त थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों/त्रुटियाँ का निराकरण टर्न-की ठेकेदार एजेंसी से कराया जाता है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है । (घ) प्रश्नाधीन योजना के क्रियान्वयन एवं कार्य की गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु ग्वालियर जिले के

लिये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सल्टेन्ट मेसर्स आई.सी.टी., नई दिल्ली एवं मेसर्स मेधाज टेक्नो, कान्सेप्ट प्रा.लि.लखनऊ को संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया है । इनके द्वारा निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता में कमी अथवा त्रुटि पाए जाने पर, उसके निराकरण हेतु तत्काल मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लि. को सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं सुधार कार्य पूर्ण होने के बाद ही किये गये कार्य को मान्य करते हुए ठेकेदार कंपनी को भुगतान किया गया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में ठेकेदार कंपनी के विरूद्ध कोई अन्य जांच किया जाना प्रस्तावित नहीं है । (ड.) मे.ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड, मुंबई द्वारा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल 14 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण किया गया है, जिसमें से म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिग्रहित किये गये 12 फीडरों पर स्थापित 150 वितरण ट्रांसफार्मरों में से अभी तक कुल 79 वितरण ट्रांसफार्मर फेल हुए हैं । टर्न-की ठेकेदार से किये गये अनुबंध के अनुसार योजना के अन्तर्गत लगाए गए ट्रांसफार्मरों की सेंपल टेस्टिंग एन.ए.बी.एल. द्वारा अभिप्रमाणित प्रयोगशाला/सी.पी.आर.आई. में कराई जाती है तथा गुणवत्ता निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप पाए जाने पर ही ट्रांसफार्मर उपयोग किये जाते हैं । उक्त निर्धारित प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में अन्य कोई जाँच कराया जाना आवश्यक नहीं है । (च) उत्तरांश (ड.) में दर्शाए गए 79 फेल वितरण ट्रांसफार्मरों में से अद्यतन स्थिति में 58 ट्रांसफार्मर मे.ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बदल दिये गये हैं, संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण ट्रांसफार्मर बदलने हेतु शेष हैं । बदलने हेतु उक्त शेष 21 ट्रांसफार्मरो के विरूद्ध टर्न-की ठेकेदार कंपनी द्वारा 10 ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा शेष 11 ट्रांसफार्मर भी शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया है । फेल ट्रांसफार्मरों से सम्बद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा कराए जाने पर उक्त ट्रांसफार्मर बदल दिये जाएंगे, जिस हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

श्री भरत सिंह कुशवाह -अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बात सही है कि ग्वालियर जिल में फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत 115 फीडर स्वीकृत हुए थे और इसी 115 में स ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 42 फीडर स्वीकृत हुए थे. जो जिस कंपनी को यह कार्य सौंपा गया था उस कंपनी से 18 माह का अनुबंध था तो 18 माह में यह कार्य केवल 3 प्रतिशत हुआ उसके बावजूद माननीय मंत्री जी

ने उस ज्योति कंपनी को दो बार काम करने के लिए समय और दिया. उस कार्य को प्रारंभ हुए आज 42 माह हो चुके हैं और इस अवधि में इस कंपनी ने मात्र 15 प्रतिशत काम किया है. 85 प्रतिशत कार्य अभी भी अधूरा है. मंत्री ने इसमे यह भी कहा है कि शेष कार्य 2015 तक पूर्ण करा विया जायेगा. तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब 42 माह में केवल 15 प्रतिशत काम हुआ है तो शेष 85 प्रतिशत काम उस कंपनी द्वारा शेष 10 माह में कैसे किया जा सकता है? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह कंपनी काम करने में सक्षम नहीं है तो इसको ब्लेक लिस्टेड किया जाय. दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि कंपनी द्वारा जो पोल गाड़े गये हैं उनक अंदर न तो बोल्डर डाले गये न प्रापर अर्थिंग की प्रापर व्यवस्था की गई और जब लाईन खींची गई तो 80 प्रतिशत पोल टेढे हो चुके हैं .

श्री राजेन्द्र शुक्ल- अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि एजन्सी ने काम बहुत धीमी गति से किया है, लगातार यह प्रयास हो रहा है कि अक्टूबर 2015 तक यह काम किसी भी तरीके से पूरा हो. इसके लिये बहुत ही क्लोज मॉनीटरिंग हो रही है. हर 15 दिन में समीक्षा हो रही है और यदि ऐसा लगता है कि उसके बाद भी कंपनी काम नहीं कर पायेगी तो जैसा माननीय सदस्य न कहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे.

श्री भरत सिंह कुशवाह- मंत्री जी अब इसी जांच करा ली जाय और दूसरा मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मॉनिटरिंग का काम जिस कंपनी को दिया गया है वह कंपनी कभी वहां गयी ही नहीं है. आप चाहें तो इसकी जांच करवा लें और जो भी कार्य हुआ है वह बिलकुल घटिया निर्माण हुआ है. मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह पूरा कार्य जो हुआ है वह एक जांच का विषय है ,माननीय मंत्री जी क्या इसकी जांच करायेंगे?

श्री राजेन्द्र शुक्ल- जरूर करा लेंगे.

प्रश्न संख्या 17 - (अनुपस्थित)

विद्युत दुर्घटना में दिया गया मुआवजा

18. (*क्र. 360) डॉ. मोहन यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2014 तक उज्जैन शहर में विद्युत दुर्घटना से मरने वाले व्यक्तियों की नाम सहित जानकारी देवें ? विद्युत दुर्घटना के कारण मरने वाले पीडित पक्ष को विभाग द्वारा कितना मुआवजा दिया गया ? (ख) सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए जिन व्यस्ततम रिहायशी इलाकों से विद्युत लाईने गुजर रही है, उन्हें भूमिगत करने के संबंध में क्या कोई कार्य किया जा रहा है, यदि नहीं, तो आगामी सिंहस्थ के समय आम नागरिकों को विद्युत तारों के कारण होने वाले हादसों से बचाने के लिये क्या योजना प्रस्तावित है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2014 तक उज्जैन शहर में विद्युत दुर्घटना से मरने वाले व्यक्तियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । विद्युत दुर्घटना के प्रकरणों में विभाग/वितरण कंपनी द्वारा मुआवजा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के दृष्टिगत, कतिपय प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत, न्यायालयीन आदेश, मानव अधिकार आयोग के आदेश एवं राजस्व पुस्तिका परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 के प्रावधानों में परिप्रेक्ष्य में यथासंभव अनुदान राशि प्रदान की जाती है । (ख) जी नहीं, विद्युत लाईनों को भूमिगत करने के संबंध में कोई योजना प्रस्तावित नहीं हैं तथापि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार उज्जैन शहर में

अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत लाईनों के तारों की किसी भी निर्माण, बिल्डिंग एवं भूमि से न्यूनतम सुरक्षित क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर दूरी सुनिश्चित की गई है। साथ ही सुरक्षा संबंधी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए सिंहस्थ-मेला क्षेत्रांतर्गत अस्थाई तौर पर निर्मित की जाने वाली निम्नदाब लाईनों का निर्माण खुले तारों के स्थान पर शिरोपरि (ओवरहेड) केबल के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट – "तीन"

डॉ. मोहन यादव - अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से उज्जैन में विद्युत दुर्घटना में मारे गये लोगों को मुआवजा देने और उसकी जानकारी और साथ ही साथ सिंहस्थ की आवश्यक तैयारी संबंधी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा. मैं यह जानना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है. मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब ही नहीं आया है. मैंने प्रश्न पूछा है कि इस प्रश्न में वर्ष 2010 से 2014 तक कितने लोग मारे गये और उनको कितना मुआवजा दिया गया, इसमें प्रश्न का उत्तर नहीं आया है.

अध्यक्ष महोदय, दूसरा इसमें जो मौतों की संख्या परिशिष्ट में बताई गई है, मात्र 7 लोगों की संख्या बताई गई है. जबकि 59 लोग मारे गये हैं. जब हम इन घटनाओं को भी ठीक से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं मानवीय पक्ष भी सबके सामने आता है. तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है. जो सिंहस्थ के बारे में मैंने कहा है कि आगामी सिंहस्थ को लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं? वहां पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं. ऐसे में हम जब अभी दुर्घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं तो उस दरम्यान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए कौन

जवाबदार रहेगा? इस संबंध में भी अधूरी बात बता दी गई है. यद्यपि मेला अधिनियम के अंतर्गत जो नोटिफाईड एरिया है, उसको सामने नहीं लाए हैं. अगर वह नोटिफाईड एरिया बता देंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि कितना बड़ा एरिया सिंहस्थ का होता है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल - अध्यक्ष महोदय, विद्युत दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु होती है तो आरबीसी में यह प्रावधान है कि सिर्फ प्राकृतिक आपदा से जिन लोगों की मौत होगी उनको मुआवजा देने का प्रावधान है. विद्युत दुर्घटना किस कारण से हुई है, उसकी पड़ताल करना और यदि उसमें बिजली विभाग की गलती से या कोई तार टूट गया है उसके कारण यदि कुछ होता है तो फिर उसको मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान वगैरह से बातचीत होती है और वहां से मुआवजा दिया जाता है. आरबीसी में इसका कोई प्रावधान नहीं है.

श्री रामनिवास रावत - फिर उत्तर में क्यों लिख दिया है?

श्री राजेन्द्र शुक्ल - अध्यक्ष महोदय, वह एक विशेष प्रकरण मानकर किया गया है.

श्री रामनिवास रावत - इसमें आरबीसी 6 (4) का उल्लेख किया गया है. अध्यक्ष महोदय, आप भी पढ़ लें कि - 'राजस्व पुस्तिका परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 के प्रावधानों में परिप्रेक्ष्य में यथासंभव अनुदान राशि प्रदान की जाती है.'

अध्यक्ष महोदय - वह कतिपय प्रकरणों में है, यह जनरल नहीं है, वह एक्सेपश्नल है. वह अपवाद है.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, यदि नहीं है तो फिर क्यों उल्लेख किया गया है? जब आरबीसी 6 (4) में प्रावधान ही नहीं है तो एक्सेपश्नल कैसे कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय - उसमें लिखा ही हुआ है कि कतिपय प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत.

श्री रामनिवास रावत - तो इसमें लिखने की क्या जरूरत थी? सीधी-सी बात है कि क्या आप आरबीसी 6 (4) में प्रावधान कराएंगे.

श्री राजेन्द्र शुक्ल - अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जो माननीय डॉ. मोहन यादव जी का था कि सिंहस्थ के दौरान जो खुले तार हैं, जहां सिंहस्थ का मेला और पूरी सवारी निकलेगी. वह जो सवारी का मार्ग है, उसमें जितने भी ओवरहेड केबल्स हैं, उसको केबल करने के लिए शासन ने बड़ा पुख्ता इंतजाम किया है. लगभग 106 करोड़ रुपए सिंहस्थ के लिए विशेष तौर से स्वीकृत किये हैं, जिसके काम अभी चल रहे हैं. जिसमें सवारी का ऐसा कोई मार्ग नहीं होगा, जिसके ऊपर खुले तारों को केबलिंग नहीं कर दिया जाएगा.

डॉ. मोहन यादव - अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं. लेकिन विभाग से जो उत्तर आया है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा. आपने जवाब में दिया है कि सिंहस्थ क्षेत्रांतर्गत अस्थाई तौर पर निर्मित की जाने वाली निम्नदाब लाईनों का निर्माण खुले तारों के स्थान पर शिरोपरि (ओवरहेड) केबल के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है. मेरा यही कहना है कि नोटिफाईड एरिया हमारा सम्पूर्ण नगर निगम है, न कि अस्थाई एरिया जो हम लेने वाले हैं. दूसरा, 118 कि.मी. का पंचकोशी एरिया, यह पूरा सिंहस्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा यात्री उसमें घूमेंगे. 4 महीने पहले की घटना है ग्राम करहोंज जो पंचकोशी का प्रथम पड़ाव है, यहीं पर तार से चिपकने से एक बच्चे की मृत्यु हुई है. दूसरा, इस संबंध में जो मुआवजा देने की बात है तो 11 के.व्ही. से चिपका राहुल वासेन, त्रिवेणी कालोनी, इसको मुआवजा नहीं मिला है. निम्नदाब से दो लोग चिपके हैं.

अध्यक्ष महोदय - एक-एक प्रश्न कर लें, सिंहस्थ का प्रश्न आपने अभी पूछा है.

डॉ. मोहन यादव - अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह उत्तर बहुत अधूरा है और चतुराई से जो मूल मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया है.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, सदन को भी गुमराह किया गया है.

श्री कमलेश्वर पटेल - सभी विभागों में इसी तरह होता है.

अध्यक्ष महोदय - कृपया आप बैठ जाएं.

श्री राजेन्द्र शुक्ल - अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भी चिंता है, चाहे वह भविष्य में दुर्घटना को रोकने के लिए हो, उन सारे मामलों में उनके साथ बातचीत करके और जो भी उसके लिए कदम उठाये जा सकते हैं, उठाने का निर्णय करेंगे.

अध्यक्ष महोदय - आप सुझाव दे दीजिएगा.

डॉ. मोहन यादव- अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें माननीय मंत्री जी से इतना-सा निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच समिति बना दें. माननीय मंत्री जी अगर आप इसको उचित समझते हैं तो अगर आप यह जांच समिति में देख लें और इसके संबंध में गंभीरता से वह समिति निर्णय कर ले.

श्री राम निवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी के उत्तर में आया है कि 6-4 के प्रावधान के अनुसार दिया जाता है. आप निर्देशित करें कि इस तरह से सदन में उत्तर न आये, गुमराह न करें सदन को , अधिकारियों ने उत्तर देखा है मंत्री जी ने उत्तर देखा है उसके बाद में सदन में प्रस्तुत किया है.

डॉ. मोहन यादव -- माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी की तरफ से जांच समिति बन जाये तो ज्यादा अच्छा होगा.

श्री रामपाल सिंह -- 6-4 की चर्चा अलग से कर लेंगे राजस्व का मामला है.

डॉ. मोहन यादव -- इसमें मंत्री जी जांच समिति बना दें.

अध्यक्ष महोदय -- आप मिल लें उनसे उसके बाद में अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो बताइयेगा.

विदेश अध्ययन पर गए आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारी

19. (*क्र. 322) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में पदस्थ कितने आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारी विदेश प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरे पर सरकारी व्यय पर गए ? नामवार, सरकारी व्यय एवं उक्त देशों की सूची उपलब्ध करावें ? (ख) विदेश गए इन अधिकारियों ने किन-किन विषयों पर कहाँ- कहाँ प्रशिक्षण एवं अध्ययन प्राप्त किया ? (ग) क्या इन अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं अध्ययन प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षण एवं अध्ययन के अनुसार संबंधित विभागों में नियुक्त किया ? (घ) क्या उक्त प्रशिक्षण एवं अध्ययन से प्रदेश को लाभ मिला ? अगर हाँ, तो क्या ?

उत्तर

मुख्य मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' तथा 'ब' अनुसार है। (ग) अध्ययन/प्रशिक्षण से लौटने पर अधिकारियों द्वारा उन्हीं पदस्थापनाओं पर कार्यभार ग्रहण किया गया, जहां से वे अध्ययन/प्रशिक्षण में गए थे। (घ) उक्त प्रशिक्षण/अध्ययन से प्राप्त अनुभव प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यों के संपादन और योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोगी तथा लाभकारी रहा है।

श्री शैलेन्द्र पटेल -- माननीय अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र में भी मेरा यह ही प्रश्न था लेकिन जब मैंने दुबारा पूछा है तो लगभग एक साल के बाद में इसका उत्तर मिला है. लगभग 19 अधिकारियों के ऊपर मध्यप्रदेश सरकार ने 65 से 70 लाख रूपये खर्च किये हैं. विदेश में अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए. यह जानकारी तो मुझे प्राप्त हुई है लेकिन जो मैं जानना चाहता था कि क्या अध्ययन और प्रशिक्षण के बाद में उनको उन्हीं विभागों में पदस्थापना दी गई है तो उसका भी उत्तर मुझे यह मिला है कि जिस विभाग से वे गये थे क्या उसी विभाग में उनकी पदस्थापना की गई. लेकिन क्या विदेश से प्रशिक्षण और अध्ययन प्राप्त करने के बाद इन अधिकारियों ने कोई ऐसी योजना बनायी जिससे प्रदेश को लाभ मिला. ऐसी एक भी योजना के बारे में मुझे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. उत्तर में यह लिखा गया है कि उनके अनुभव का लाभ मिल रहा है , सारे अधिकारियों का लाभ कैसा मिल रहा है यह हम सब देख रहे हैं. जो अधिकारी विदेश अध्ययन पर गये थे उन्होंने कोई भी एक ऐसी योजना बनायी जिसका लाभ इस प्रदेश को मिल रहा हो तो उसके बारे में मुझे कृपया बता दें.

श्री लाल सिंह आर्य -- माननीय अध्यक्ष महोदय वैसे तो प्रश्न उद्भुत होता नहीं है. इसमें जितने भी अधिकारी विदेश में अध्ययन के लिए गये हैं उसमें 9 अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मंसूरी में विदेश प्रशिक्षण कंपोनेंट वाले इंडेक्शन कार्यक्रम में गये हैं. शेष 19 अधिकारी विभाग के अध्ययन के लिए वहां पर गये हैं . मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं कि आज अगर हम सिंचाई में 7.5 लाख हेक्टेयर से आगे बढ़े हैं तो कहीं न कहीं हमें उसका लाभ मिला है. इसी प्रकार से चाहे कृषि के क्षेत्र की बात करें या हमारी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी के अधिकारी हों जो अधिकारी हमारे सिंगापुर जाने

वाले थे. उनको वहां पर 7 दिन रहना था तो उनकी व्यवस्था की दृष्टि से भी हमारे कुछ अधिकारी वहां पर गये हैं. कुल मिलाकर मध्यप्रदेश पिछले 10 वर्षों में बीमारू राज्य से अगर पहुंचा है विकसित राज्यों की श्रेणी में आया है तो कहीं न कहीं इन अधिकारियों के प्रशिक्षण से मध्यप्रदेश को लाभ मिला है.

श्री शैलेन्द्र पटेल -- अध्यक्ष महोदय जो मंत्री जी ने जवाब दिया है वह सही है तो हम सारे अधिकारियों को भेज ताकि हमारा प्रदेश और उन्नत हो जाय.

अध्यक्ष महोदय -- आपकी सलाह पर विचार कर लेंगे.

श्री कमलेश्वर पटेल -- मंत्री जी ने कृषि और जल संसाधन विभाग की बात की है तब ही तो नहरों का घटिया निर्माण हुआ है.

प्रदेश में कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि पर कर

20. (*क्र. 476) श्री रामनिवास रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एवं रसोई गैस सिलेण्डर प्रति यूनिट उत्पादन कंपनियों से म.प्र. को मूल रूप से किस दर पर प्राप्त होते हैं ? पेट्रोल, कैरोसिन एवं डीजल की दर प्रति लीटर एवं रसोई गैस सिलेण्डर की दर प्रति सिलेण्डर में मूल रूप से प्राप्त होने की दर एवं प्रदेश में लगने वाले विभिन्न टैक्स उपरांत विक्रय की दर बतावें ? (ख) वर्तमान में म.प्र. में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एवं रसोई गैस पर कौन-कौन से टैक्स किस-किस दर पर लगाए जा रहे हैं ? पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व दिल्ली में इन उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैक्सों की जानकारी म.प्र. सहित तुलनात्मक विवरण दें ? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश में अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में इन उत्पादों पर टैक्स अधिक होने से सीमांत इलाकों में पड़ोसी राज्यों से डीजल, पेट्रोल लाकर प्रदेश में बेचा जा रहा है जिससे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है तथा प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों पर स्थापित पेट्रोल पम्प बंद होने की कगार पर हैं ? क्या प्रदेश सरकार अन्य पड़ोसी राज्यों के समान उक्त उत्पादों पर लगने वाले टैक्स अनुसार टैक्स की दर निर्धारित करेगी ? (घ) वित्तीय वर्ष 2014-15 में अप्रैल 2014 से वर्तमान तक प्रश्नांश (क)

अनुसार उत्पादों की कितनी-कितनी बिक्री हुई एवं विभिन्न प्रकार के टैक्सों से प्रदेश को कितने रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ ? कृपया माहवार बतावें ? क्या यह भी सही है कि वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटी 5.50 रू. प्रति लीटर एवं डीजल पर 6.50 रू. प्रति लीटर बढ़ा देने के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने भी वेट कर बढ़ा दिया है ? यदि हाँ, तो कितना ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मध्यप्रदेश में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एवं रसोई गैस सिलेण्डर प्रति यूनिट उत्पादक/आयात कंपनियों से मध्यप्रदेश को मूल रूप से कितने रूपये प्रति लीटर/सिलेण्डर में प्राप्त हो रहा है तथा उक्त माल प्रति लीटर/सिलेण्डर प्राप्त होने की दर एवं प्रदेश में लगने वाले विभिन्न टैक्स उपरांत की विक्रय की दर, की जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग में संधारित नहीं की जाती है । (ख) वर्तमान में मध्यप्रदेश में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एवं रसोई गैस पर लगाये जाने वाले टैक्स, की दरों तथा पडोसी राज्यों छत्तीसगढ, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व दिल्ली में इन उत्पादों पर लगाये जाने वाले टैक्स की जानकारी (दूरभाष एवं इंटरनेट से प्राप्त जानकारी अनुसार) मध्यप्रदेश सहित तुलनात्मक रूप से जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) प्रदेश के सीमांत इलाकों में पडोसी राज्यों से डीजल, पेट्रोल लाकर प्रदेश में बेचे जाने का कोई प्रकरण विभाग के संज्ञान में नहीं आया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) वित्तीय वर्ष 2014-15 में अप्रैल 2014 से वर्तमान तक प्रश्नांश (क) के अनुसार उत्पादों की कितनी-कितनी बिक्री हुई एवं विभिन्न प्रकार के टैक्सों से प्रदेश को कितने रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ, की वस्तुवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है । वर्ष 2015 में प्रदेश सरकार द्वारा डीजल पर कोई वेट नहीं बढाया है ।

परिशिष्ट – "चार"

श्री राम निवास रावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहूंगा. पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि उत्तर में भाषण तो नहीं देंगे. मैंने प्रश्न में पूछा था कि मध्यप्रदेश में पैट्रोल, डीजल, कैरोसिन एवं रसोई गैस सिलेण्डर प्रति यूनिट उत्पादन कंपनियों से मध्यप्रदेश को मूल रूप से किस दर पर प्राप्त होता है और आपके टैक्स

लगने के बाद में किस दर पर विक्रय किया जाता है. आपने कहा है कि मूल रूप से कितने रूपये लीटर / सिलेण्डर में प्राप्त हो रहा है इसकी जानकारी हम लोग संधारित नहीं करते हैं. कितने में विक्रय किया जा रहा है यह भी आप संधारित नहीं करते हैं. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जब आप यह संधारित नहीं करते हैं कि मध्यप्रदेश में आने वाला डीजल पैट्रोल प्रति लीटर कितने रूपये में प्राप्त हो रहा है तो आप टैक्स का का निर्धारण कैसे करते हैं. आप वेट टेक्स 31% और एन्ट्री टेक्स 1 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से आप लेते हैं लेकिन 31% वेट टेक्स आप कैसे निर्धारित करते हैं. क्या आप मात्रा पर निर्धारित करते हैं या लगने वाले मूल्य पर निर्धारित करते हैं ?

श्री जयंत मलैया -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं हम डीजल और पेट्रोल के ऊपर मात्रा पर नहीं मूल्य के ऊपर वेट टेक्स इकट्ठा करते हैं.

श्री रामनिवास रावत-यही तो मैंने आपसे पूछा है. आप बता रहे हैं कि कितने रूपये में प्रदेश में प्राप्त होता है, आपको पता नहीं है यह जबाव आपके उत्तर में है.

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, डिपो को अपनी कंपनी से किस रेट में आ रहा है इससे हमारा कोई औचित्य नहीं है. वो रिटेल में किस प्राईज पर बिक रहा है उसके उपर हम वेट टेक्स ले रहे हैं. यह हमारा औचित्य है. आज तक कभी कहीं भी वाणिज्यक कर विभाग में इस तरह की रिपोर्ट नहीं रखी जाती कि किस रेट में आया है.

अध्यक्ष महोदय-- सेल प्राईज पर लेते हैं.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि रिटेल प्राईज पर टेक्स लगाया जाता है.

अध्यक्ष महोदय- सेल प्राईज पर .

श्री रामनिवास रावत- रिटेल प्राइज उन्होंने निर्धारित कर दी, जैसे वर्तमान में 65 रूपये प्रति लीटर बेच रहे हैं . उनको कितने रूपये प्राप्त हो रहे हैं इससे आपको मतलब नहीं है आप 65 रूपये पर टेक्स लगा रहे हो तो फिर तो वो टेक्स उन्हीं के ऊपर जा रहा है. आप जितने में बेच रहे हैं उतने पर ही टेक्स लगा रहे हैं न. आने से कोई मतलब नहीं है

अध्यक्ष महोदय- हां सेल प्राईज पर.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है. मैंने पूछा था कि मध्यप्रदेश के आसपास के राज्यों में लगने वाले टेक्स और प्रदेश में लगने वाले टेक्स में कितना अंतर है. क्रूड आइल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम होने के कारण पहले से ही केन्द्र सरकार ने साढ़े 5 रूपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 6 रूपये 50 पैसे डीजल पर सबसीडी बढ़ा दी आपने तुरंत 27 से 31% वेट बढ़ा दिया.

अध्यक्ष महोदय-- आप सीधा प्रश्न करें.

श्री रामनिवास रावत-- मेरा सीधा प्रश्न यही है आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेगे तो डीजल पर हरियाणा में 11.56% है मध्यप्रदेश में 27% है , उत्तरप्रदेश में 17.48% है मध्यप्रदेश में 27% है , दिल्ली में 12.5 है और मध्यप्रदेश में 27% है , मतलब सभी राज्यों में मध्यप्रदेश से कम टेक्स लिया जा रहा है और लगभग 10% कम टेक्स लिया जा रहा है. वास्तविक स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्यों के जो सीमावर्ती पेट्रोल पंप थे सिर्फ इस कारण बंद हो गये कि कम रेट पर अपने यहां डीजल आता है और लोगों को मंहगे दामों पर खरीदना पड़ता है. क्या आसपास के राज्यों के तुलनात्मक रूप से

वेट टेक्स कम करके उपभोक्ताओं को फायदा दिलायेंगे. (मंत्री जी द्वारा उत्तर न देने पर -स्वयं ही बोले) जी नहीं. यदि आप किसान हितैषी है,..

अध्यक्ष महोदय-- आप ही प्रश्न पूछ रहे हैं और आप ही उत्तर दे रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत- अंतिम प्रश्न.

अध्यक्ष महोदय-- बहुत लंबा भाषण हो गया आपका. प्रश्न आपने पूछा नहीं.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दिया, प्रश्न किया है और उत्तर चाहिये. आप किसान हितैषी हैं और किसानों की आत्महत्या के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं. कम से कम खेती में काम आने वाले डीजल पर तो वेट टेक्स कम करेंगे. या नहीं.

श्री जयंत मलैया-- (सीट पर बैठे बैठे) किसान बिजली से पंप चलाते हैं.

श्री रामनिवास रावत-- बिजली नहीं जो डीजल से पंप चलाते हैं , आज भी कई जगहों पर बिजली नहीं है लोग डीजल का उपयोग कर रहे हैं. क्या डीजल पर वेट टेक्स कम करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाईये, आपका प्रश्न हो गया है. आपकी बात आ गई है.

श्री रामनिवास रावत-- क्या मंत्री जी आप किसानों के हितैषी नहीं हैं, किसान विरोधी हैं.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाईये कृपया. यह कोई प्रश्न नहीं होता.

श्री कमलेश्वर पटेल-- सरकार सिर्फ आंकड़ों पर काम कर रही है, किसानों की हितैषी नहीं है.

बहिर्गमन

इंडियन नेश्नल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, यह सरकार प्रदेश की जनता पर जबर्दस्ती टेक्स लगाकर के उन्हें मरने के लिये मजबूर कर रही है, सबसे ज्यादा रेट पर डीजल और पेट्रोल बेच रही है, हम सरकार के जबाव से पूरी तरह से असंतुष्ट है और इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं.

(नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में इंडियन नेश्नल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न संख्या 21 श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक .....

प्रश्न संख्या 21 - (अनुपस्थित)

म.प्र. लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में त्रुटि

22. (*क्र. 24) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 27 जुलाई 2014 को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के संचालन समिति के सदस्यों की सूची उपलबध कराएं ? (ख) प्रश्नांश (क) में आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र समिति के कौन-कौन सदस्य थे, इनमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रश्न पत्र हेतु व्यवस्था सौंपी गई थी ? प्रश्न पत्र निर्माण के पश्चात् क्या प्रश्न पत्र में त्रुटि हेतु कोई जाँचकर्ता नियुक्त किया जाता है ? यदि हाँ, तो नाम सहित जानकारी दें ? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश की उक्त दिनांक को आयोजित की प्रमुख एम.पी.पी.एस.सी. प्रारंभिक परीक्षा में 16 प्रश्न गलत होने के कारण इन प्रश्नों को मूल्यांकन से हटा दिया गया और मात्र 184 अंकों का ही पूर्णांक घोषित किया गया ? यदि हाँ, तो 16 प्रश्नों के त्रुटि के कारणों का उल्लेख करें ? (घ) प्रश्नांश (ग) में 16 प्रश्नों की त्रुटि हेतु कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी है ? क्या उनको दण्डित किया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) परीक्षा संचालन हेतु संचालन समिति का गठन नहीं किया जाता है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) आयोग में प्रश्न पत्र समिति का गठन नहीं किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । प्रश्न पत्र निर्माण के पश्चात आयोग द्वारा प्रश्न पत्र के मॉडरेशन के लिए विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है जो कि प्रश्न पत्र में त्रुटि का निवारण करते हैं । मॉडरेशन हेतु आमंत्रित विषय विशेषज्ञों के नाम गोपनीय हैं । (ग) जी हां । प्रश्नपत्र रचना हेतु विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न संदर्भ ग्रंथों से प्रश्नों का चयन किया जाता है । कई बार विभिन्न पुस्तकों में एक ही प्रश्न के भिन्न उत्तर उपलब्ध रहते हैं । अत: एक ही प्रश्न के दो उत्तर उपलब्ध होने से प्रश्न त्रुटिपूर्ण हो जाता है तथा प्रश्न पत्र रचना एवं परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में नये तथ्यों के प्रकाशित होने से पुराना उत्तर त्रुटिपूर्ण हो जाता है । (घ) प्रश्न पत्र में त्रुटि के संबंध में आयोग के अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । प्रश्न पत्रों की रचना/मॉडरेशन आयोग द्वारा आमंत्रित विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई 2014 में 16 प्रश्न गलत होने के कारण से इन प्रश्नों को मूल्यांकन से हटा दिया गया और मात्र 184 अंकों पर पूर्णांक घोषित किया गया.विषय महत्वपूर्ण है. छात्रों की मानसिक प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है. प्रश्नांश (ग) में मंत्री जी ने यह स्वीकार करते हुए मुझे अवगत कराया है कि नये तथ्यों के प्रकाशित होने से पुराने उत्तर त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं. मैं जानना चाहूंगा कि प्रश्न पत्रों की रचना मॉडरेशन आयोग द्वारा आमंत्रित विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाती है. फिर यह जो जवाब आया है कि पुराना उत्तर त्रुटिपूर्ण कैसे हो जाता है. साथ में मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि दोषी विषय विशेषज्ञों पर क्यों कार्यवाही नहीं की जाती है. उनके नाम गोपनीय क्यों रखे जाते हैं. क्या भविषय में इस प्रकार की त्रुटियां न हों, इस बात के लिये मंत्री जी मुझे आश्वस्त करेंगे.

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन (लाल सिंह आर्य)-- अध्यक्ष महोदय, विधायक जी की भावना का मैं आदर करता हूं. जो 16 प्रश्न त्रुटिपूर्ण आपने बताये हैं, कभी कभी तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, मैं आपका उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. जब प्रश्न बनता है, विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न बनाये जाते हैं, उस समय के दो प्रकरणों के बारे में आपको एक जानकारी दे रहा हूं. खाद के उत्पादन और उपयोग में भारत पहले प्रथम था, जब प्रश्न बन रहे होंगे और जब प्रश्न प्रश्नोंत्तरी में आया, तब चीन प्रथम हो गया. हॉकी के बारे में पूछा कि चार बार विश्व विजेता कौन बना है. तो जब प्रश्न बने थे, तब आस्ट्रेलिया था और प्रश्नोंत्तरी में जब प्रश्न आया, तो हॉलैंड हो गया. अब इस प्रकार की कुछ त्रुटियां हुई हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि विषय विशेषज्ञों से इन बातों को लेकर के

आपको लगता है कि कोई त्रुटि हुई है, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न दोहराई जाएं, यह हम तय करेंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रश्न पूछे ही क्यों जाते हैं, जो समय समय पर बदल जाएं. कोई टेबल पर बैठकर के जैसे वह कहावत है कि पीते पीते कभी कभी वह जाम बदल जाते हैं. ..(हंसी).. यह इस प्रकार से अगर त्रुटिपूर्ण होती है, तो मेरा संवेदना के साथ मंत्री जी से निवेदन है कि आपने स्वीकार भी किया कि मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है. इससे छात्रों को मानसिक रुप से प्रताड़ना होती है. इसमें विषय विशेषज्ञ बैठते हैं. अब विषय विशेषज्ञ प्रश्न करने से पहले थोड़ी सी तात्कालिक परिस्थितियों का भी ध्यान रख लें, तो छात्रों के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होगा.

प्रदेश में स्वीकृत छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

23. (*क्र. 581) श्री जितू पटवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रदेश में कौन-कौन सी छोटी, मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कहाँ-कहाँ स्वीकृत की गई एवं कब से प्रारंभ हुई है ? (ख) उपरोक्त परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की जाना प्रस्तावित थी एवं प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई है ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) क्या परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील एवं अन्य की गुणवत्ता, (मार्क ISI, NABL प्रमाणीकरण) हेतु ठेकेदार से कोई अनुबंध किया जाता है ? (घ) क्या यह भी सही है कि बरगी-राजघाट परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं में कम गुणवत्ता वाला अमानक स्तर का (सरिया) स्टील एवं सीमेंट ठेकेदार द्वारा लगाया गया है ? (ड.) यदि

परियोजनाओं में सीमेण्ट एवं स्टील खरीदी में अनियमितता हुई है, तो संबंधित ठेकेदार एवं मुख्य अभियंताओं के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1/2/3' अनुसार है । (ग) निर्माण अनुबंध में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता संबंधी प्रावधान होते हैं । (घ) एवं (ड.) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री जितू पटवारी -- अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने किया था, उसके अंतर्गत जितनी जानकारियां मंत्री जी द्वारा दी गयीं, वह पुस्तकालय से कलेक्ट करने का मुझे निर्देश पत्र के द्वारा दिया गया था. सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि पुस्तकालय में कोई जानकारी है ही नहीं और उसका मैं लिखित में प्रमाण लेकर आया हूं. ऐसे ही कई प्रश्न पहले भी होते हैं, जिनकी कि जानकारियां दी जाती हैं, मांगी जाती हैं, चूंकि हम कांग्रेस के यहां कोई सदस्य बचे ही नहीं हैं, आप ही आप लोग हो. तो मैं थोड़ी गंभीरता से ..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- आज बहुत दिनों बाद यह बात समझ में आई. कांग्रेस के बचे ही नहीं हैं.

श्री जितू पटवारी -- अध्यक्ष महोदय, यहां अभी इस वक्त नहीं बचे हैं. सदन में गंभीरता के साथ बता रहा हूं कि जितने भी प्रश्न होते हैं, उनके जो उत्तर दिये जाते हैं, कई बार आपको उसमें अंतर दिखता है, वास्तविकता में और उत्तरों में. जो जानकारी दी जाती है, वह गलत दी जाती है.

अध्यक्ष महोदय -- उसकी एक अलग प्रक्रिया है. आप यहां पूरक प्रश्न पूछ लीजिये.

श्री जितू पटवारी -- अध्यक्ष महोदय, पूछा है वह, जिस दिन आयेगा, वह बहस में आयेगा कि नहीं , वह अलग बात है. पूरक प्रश्न यह है कि इसमें जितनी भी जानकारियां हैं, पहले तो जानकारी ही नहीं है, तो मैं प्रश्न बनाऊं कैसे. जब जानकारी मिली ही नहीं, तो उसके आगे के प्रश्न अपने आप चले जाते हैं. एक चीज यह है कि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत यह प्रश्न था. मंत्री जी भी शायद इस बात में हां कहेंगे..

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- आपको अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनना है, तो कम शब्दों में ज्यादा बात करें. लेकिन आप उल्टे चल रहे हैं. मतलब ज्यादा शब्द बोलते हैं और बात कम होती है.

श्री जितू पटवारी -- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के उत्तर की जानकारी नहीं मिली. जब जानकारी नहीं मिली, तो उसका उल्लेख करुं कि नहीं करुं. मेरा मंत्री जी से प्रश्न यह है कि जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, उसमें टेंडर से लेकर, टेंडर खुलने से लेकर, बार बार पैसे दिये जाने से लेकर जब भी पेमेंट होता है,(XX)

अध्यक्ष महोदय -- आपका प्रश्न क्या है.

श्री जितू पटवारी -- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है. चूंकि जानकारी ही नहीं तो प्रश्न बनते ही नहीं हैं. अब घुमा फिराकर जो प्रश्न है, तो सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार होता है, उसका महाराष्ट्र में अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देश में मिलने का देखा होगा. पर मैं आपसे अनुरोध यह करना चाहता हूं कि ऐसी गलतियों को सुधारने के लिये कि जानकारी तो अगली बार से मिले.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

डॉ. मोहन यादव-- आखिर प्रश्न क्या है, वह तो समझ में नहीं आया.

श्री जितू पटवारी -- अध्यक्ष महोदय,जानकारी नहीं मिली, तो प्रश्न क्या बनता है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्नकाल समाप्त.

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय **नियम 267-क के अधीन सूचना**

11.30 बजे

अध्यक्ष महोदय--

नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 11 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैने प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा.

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.
अब में सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा.

क्रं.	सदस्य का
1	श्री अजय सिंह
2	डॉ. गोविंद सिंह
3	श्री आरिफ अकील
4	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
5	श्री रामनिवास रावत
6	श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
7	श्री दुर्गालाल विजय
8	श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह
9	श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर
10	श्री हर्ष यादव
11	श्री निशंक कुमार जैन

समय **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

11.32 बजे

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश

स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2011-12 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2012 के लिये) पटल पर रखता हूं.

समय **नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण**

11.33 बजे

1.शाजापुर जिले के शुजालपुर से सारंगपुर तक सड़क मार्ग का निर्माण पूर्ण न किया जाना

श्री जसवन्त सिंह हाड़ा (शुजालपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

जिला शाजापुर के अंतर्गत शुजालपुर से अकोदिया होते हुए सारंगपुर तक 40 कि.मी. मार्ग वर्ष 2011-2012 में बीओटी के अंतर्गत एमपीआरडीसी द्वारा स्वीकृत हुआ था यह मार्ग स्टेट हाइवे 41 के अंतर्गत आता है तथा इस महत्वपूर्ण मार्ग से लगभग 50 से अधिक गांवों की आबादी जुड़ी हुई है। विगत साढ़े तीन वर्ष में मार्ग की आधा भाग की पट्टी लगभग 12 कि.मी. लंबाई की बनाई गई है। साइड सोल्डर न बनाने के कारण एकागी मार्ग भी बारिश में टूट फूट गया है व आवागमन लायक नहीं रह गया जहां पुल पुलियाओं का निर्माण होना था वहां सड़क बीचों बीच खोद दी गई है। पुलियाओं का निर्माण न होने तथा डायवर्सन खराब हो जाने के कारण वाहन पलट जाते हैं मार्ग की इस दुर्दशा के कारण बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, गंभीर बीमारी की अवस्था में मरीजों को चिकित्सालय पहुंचा पाना कठिन हो गया है। अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण उक्त मार्ग के निर्माण का कार्य पूरी तरह से विगत 7 माह से बंद पड़ा है। बरसात का मौसम निकल जाने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है जो डब्ल्यू बी एम का निर्माण किया गया था वह भी विगत दो वर्ष में पूरी तरह खराब हो गया है। उक्त स्थिति के कारण आवागमन में भीषण कठिनाई के साथ दुर्घटनाएं बढ़ रही है। कार्य एजेंसी को शासन का कोई भय नही है और न ही वह निर्माण पूरा करने की दिशा में प्रयासरत हैं। लाखों की आबादी वाले इस मार्ग के न बन पाने से लोगों में रोष व्याप्त है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह सही है कि सारंगपुर–अकोदिया–शुजालपुर राजमार्ग क्र. 41 का कंशेसन अनुबंध दिनांक 30.07.2011 को मेसर्स गंगोत्री–सारंगपुर–शुजालपुर टोलवेज प्रा.लि., लखनऊ एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के बीच किया गया। यह सड़क जिसकी लंबाई 38.60 कि.मी. है, डी.बी.एफ.ओ.टी. पद्धति पर पुनर्निर्माण की जाना है। इस सड़क का कार्य प्रारंभ तिथि (अपाइंटेड डेट) 13.02.2012 तय की गई है। यह सही है कि उक्त मार्ग पर 50 से अधिक गांव की आबादी जुड़ी हुई है।

इस सड़क को पूर्ण करने हेतु 24 महीने की अवधि अनुबंध में दी गई है। तीन वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कंसेशनायर द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

अद्यतन स्थिति में सड़क में सबग्रेड 28.60 कि.मी., जी.एस.बी. 10.27 कि.मी. एवं डी.बी.एम. 5.00 कि.मी. लंबाई में किया गया है।

पुल–पुलिया :– परियोजना अंतर्गत 9 नग ह्यूम पाईप कलवर्ट, 8 नग स्लैब/बाक्स कलवर्ट एवं 1 नग मध्यम पुल पूरा किया गया है। 2 नग स्लैब कलवर्ट एवं 3 नग मध्यम पुल का कार्य प्रगतिरत है।

यह सही है कि शोल्डर का कार्य पूर्ण न होने के कारण यातायात को असुविधा होती है परंतु सड़क यातायात योग्य है।

यह सही है कि पुलिया निर्मित करने हेतु मुख्य सड़क को काटा गया है एवं यातायात को अस्थाई डायवर्सन से निकाला जा रहा है परन्तु यह सही नहीं है कि डायवर्सन से निकलते समय वाहन पलट जाते हैं। यह कहना भी सही नहीं है कि मार्ग की दुर्दशा के कारण बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं एवं बीमार मरीज चिकित्सालय नहीं पहुंच पा रहे हैं।

निवेशकर्ता कंपनी के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा रही है। निवेशकर्ता को पत्र दिनांक 11 मार्च 2013 द्वारा अनुबंध निरस्तीकरण का नोटिस दिया गया एवं पत्र दिनांक 10.12.2013 द्वारा कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु नोटिस दिया गया।

इस परियोजना में अनुबंध की शर्तों के अनुसार 26.70 करोड़ रूपये ग्रान्ट के रूप में कंसेशनायर को दिया जाना था। संपूर्ण सड़क दो लेन स्पेसिफिकेशन के अनुरूप (7 मी. डामरीकृत कैरिजवे एवं 2.5 मी. शोल्डर दोनो ओर) बनाये जाने थे। आबादी वाले क्षेत्र 6.61 कि.मी. में सड़क पेव्हड शोल्डर सहित बनाई जाना प्रस्तावित है। अकोदिया कस्बे में 400 मी. लंबाई में फोरलेन के अनुरूप सड़क निर्माण का प्रस्ताव मूल अनुबंध के स्कोप में सम्मिलित था। विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निवेशकर्ता तथा उनके बैंकर्स के साथ मीटिंग कर कार्य की प्रगति बढ़ाने के प्रयास किये गये परंतु निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय संसाधन की कमी के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं आ सकी। निवेशकर्ता एजेंसी द्वारा दिसंबर 2014 से कार्य बंद कर रखा है।

मार्ग पर डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य नहीं किया जा रहा है वरन् डब्ल्यू.एम.एम. का कार्य किया जा रहा है। निवेशकर्ता से शीघ्र कार्य प्रारंभ कर, पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

निवेशकर्ता कंपनी से किये गये अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण कराने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं एवं कार्य को दिसंबर 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वर्षा के पूर्व मार्ग को यातायात योग्य बना दिया जावेगा।

श्री जसवंत सिंह हाड़ा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनको 2 वर्ष का समय था यह समय दिसम्बर, 2013 में पूरा होना था, उनको दिसम्बर, 2015 तक का समय और दिया और लगातार 2 वर्ष में पूरा करना और ढाई वर्ष का और समय दे देना यानि ढाई वर्ष 2013 दिसम्बर से 2015 दिसम्बर तक और उसको 13 जुलाई तक कार्य पूर्ण करना था उसको बार-बार निरस्तीकरण के लिये नोटिस था मार्च 2013 में भी नोटिस दिया था, अब उसको समय बढ़ाने का दिया तो मैं यह चाहता हूं कि यह 50 गांव जो जुड़े हैं और उसके साथ-साथ चारःछः विधान सभा यानि जिला मंदसौर, रतलाम और आगर जिला इसी मार्ग से भोपाल आते हैं, यह महत्वपूर्ण मार्ग है, यह स्टेट हाईवे 41 है तो इसको ब्लेकलिस्टेड करके इसकी आगे की ढाई साल की कार्यवाही तो वैसे भी पूरी हो सकती थी. आज जहां दो पुल की बात कही है वहां पर बसें पलटी हैं और दूसरा मेरा कहना यह है कि यह रास्ता चलने योग्य नहीं हैं बरसात में यह मार्ग आये दिन बंद रहता है और अभी भी बरसात में बंद होगा माननीय मंत्री जी इसकी ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही जब तक नहीं करेंगे, तब तक इनका और 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ जायेगा, लेकिन यह कार्य नहीं करेगा इस एजेंसी ने एक बार भी काम नहीं किया माननीय मंत्री जी इसे आपके माध्यम से इसको ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही करें और यदि काम शुरू करेंगे तो यह मुझे डेढ़ नहीं विगत् 4 वर्षों से यही कह रहा है कि काम शुरू कर रहे हैं, टेंडर से भी कार्यवाही कर रहे हैं तो क्या करेंगे कार्यवाही ?

श्री सरताज सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की सड़कों का जो अनुबंध होता है उसके तीन हिस्से रहते हैं उसमें एक भाग बैंक का रहता है, क्योंकि बैंक उसमें फायनेंस करता है तो इसलिये हम कोई एक्शन लेने के पहले बैंक से भी सम्पर्क करते हैं और

बैंक को भी एक अवसर देते हैं कि वह सब्सीट्यूट कांटेक्टर लेकर के आएं ताकि इनकी इनवेस्टमेंट भी सेफ रहे उसके लिये इनको 180 दिन का समय देना पड़ता है और 180 दिन में बैंक कोई सब्सीट्यूट नहीं ला सकता तो उनको 90 दिन का और समय देना पड़ता है.

श्री कुंवर सिंह कोठार – माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शाजापुर जिले का मामला है. यह आगर जिला शाजापुर जिले की महत्वपूर्ण सड़क है.

अध्यक्ष महोदय – अलाउ नहीं है. (..व्यवधान..) उन्होंने पूरी बात कर ली. मंत्री जी का भी उत्तर आ गया. अलाउ नहीं कर सकते. कृपया सहयोग करें. बात हो गई. (..व्यवधान..) जिनका काल अटेंशन था.

श्री जसवंतसिंह हाड़ा - माननीय अध्यक्ष महोदय, सारंगपुर का एक विषय उनका सुन लें. सारंगपुर जीरो प्वाइंट पर है. उनकी सारंगपुर बस्ती तक का वह मार्ग है.

अध्यक्ष महोदय – ऐसा होता नहीं है. आपने बात कर ली वह बात आ गई है. डॉ.कैलाश जाटव अपना ध्यानाकर्षण सुन लें.

श्री कुंवर सिंह कोठार – जो पुल,पुलिया निर्मित की जा रही हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाये क्योंकि डायवर्सन बनाया जाता है और वह डायवर्सन मिट्टी का बनाया जाता है और थोडा सा पानी गिरने के बाद इतना कीचड़ होता है.(..व्यवधान..)

श्री ओमप्रकाश सखलेचा - अधिकारियों द्वारा दिया गया गलत उत्तर यहां पढ़ा जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय – आपका नाम नहीं है. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. कृपया इसका ध्यान रखें. आप बैठ जायें.

श्री कुंवर सिंह कोठार – जो पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है उनका काम बीच में ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया जाता है. बीच-बीच में पानी गिरने के कारण डायवर्सन मिट्टी का होने से रोड अवरुद्ध हो जाता है. निवेदन है कि पहले उन रोडों को पूर्ण कराया जाये उसके बाद ही ठेकेदार को वहां से हटाया जाये.

(2) **<u>नरसिंहपुर जिले के गन्ना उत्पादक कृषकों को शासन से अपेक्षित सहयोग न मिलना</u>**

डॉ.कैलाश जाटव(गोटेगांव) – माननीय अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

नरसिंहपुर जिले में किसानों द्वारा वृहद पैमाने पर गन्ना उत्पादन किया जाता है। इन गन्ना उत्पादक किसानों को शासन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नही हो रहा है। किसानों को न तो समय पर बिजली प्राप्त होती है और न ही समय पर सिंचाई की व्यवस्था होती है। इन्हें गन्ना के परिवहन हेतु साधन की उपलब्धता न होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में केवल एक शुगर मिल बचई में है। इस शुगर मिल में अराजकता व्याप्त है यहां किसानों को 3 से 5 दिन तक गन्ना देने हेतु लाईन में लगना पड़ता है। भुगतान प्रक्रिया भी जटिल है जिससे 15 दिन पश्चात भुगतान प्राप्त होता है। किसानों के लिये मिल के पास रूकने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। शासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिये जाने से गन्ना उत्पादक किसानों में शासन के प्रति असंतोष व्याप्त है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) – माननीय अध्यक्ष महोदय,

नरसिंहपुर जिले में वर्तमान में लगभग 59900 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों द्वारा गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है। कृषकों को विद्युत आपूर्ति निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कम से कम 10 घण्टे उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में अधिकतर कृषको द्वारा स्वयं के साधनों से सिंचाई की जाती है। केवल गोटेगांव, नरसिंहपुर एवं करेली में रानी आवंतिबाई सागर नहर परियोजना के कमाण्ड एरिया में कृषकों को मांग के अनुसार सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। अतः यह सत्य नही है कि किसानो को समय पर सिंचाई की व्यवस्था नही हो रही है। गन्ने के परिवहन हेतु शुगर फैक्ट्रियों द्वारा साधन उपलब्ध कराये जाते हैं, तथापि अधिकतर किसानों द्वारा स्वयं के ट्रेक्टर ट्राली (वाहन) का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में 6 शुगर फक्ट्रियां संचालित हैं। विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में एक शुगर फैक्ट्री महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज बचई संचालित है। नरसिंहपुर जिले में अत्यधिक गन्ना उत्पादन होने से एवं कृषको के द्वारा पर्ची वितरण (शेड्यूल) के पश्चात भी अत्यधिक गन्ना लाने से फैक्ट्री द्वारा एक से दो दिन में कृषको का गन्नापरिवहन से खाली कर क्रय किया जा रहा है। म0प्र0 गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 20 (3) के प्रावधानों के तहत गन्ना खरीदी के 14 दिन में भुगतान किये जाने के प्रावधान है। फैक्ट्री के द्वारा उक्त अवधि में निरंतर भुगतान किया जा रहा है। फैक्ट्री परिसर में कृषको को रूकने की एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा की जाती है। अतः यह सत्य नही है कि किसानो के लिये मिल के पास रूकने की कोई व्यवस्था नही है। जिले में किसानो में शासन के प्रति असंतोष व्याप्त होने की स्थिति निर्मित नहीं हुई है।

डॉ. कैलाश जाटव :- माननीय अध्यक्ष जी, आज का दिन हमारे लिये बहुत अच्छा था, हमारे प्रदेश को कृषि कर्मण्य अवार्ड भी मिला है उसके इस प्रदेश की जनता और किसानों को बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, हमारे जिले में करीब डेढ़ लाख एकड़ भूमि पर आज गन्ना किसानों हो रही है वर्तमान में जिस तरह से मौसम बदला है उससे दलहन की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। जिससे हमारे यहां पर गन्ना उत्पादन बढ़ रहा है, प्रति एकड़ जमीन पर हमारे यहां आज कम से कम हमारे यहां किसान कि जो गन्ना उत्पादन क्षमता है वह कम से कम 600 किलो गन्ना उत्पादन क्षमता हो रही है। आपको यहां बताने में कष्ट हो रहा है कि जिस तरह से मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हमारे क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता 10 घण्टे की दे रहे हैं लेकिन 6 घण्टे से ज्यादा हमारे किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे गन्ने की फसल प्रभावित हो रही है। जिस तरह से गन्ना किसानों को वहां पर गन्ना बेचने के लिये जाना पड़ता है और जिस तरह से मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वहां पर किसानों के रहने की व्यवस्था है, लेकिन वहां पर किसानों के रहने और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं हैं, वहां पर किसान पांच से छ: दिन तक खड़ा रहता है और जब उसका गन्ना सूख जाता है तो जो सरकारी रेट 225 रूपये का निर्धारित है उसमें 160 रूपये से 170 रूपये में वहां पर खरीददारी की जाती है जिससे किसानों को नुकसान होताहै। उत्तप्रदेश में आज की तारीख में 280 रूपये बिक रहा है और उसके ऊपर 20 रूपये का बोनस है, इससे करीब 300 रूपये में गन्ना बिक रहा है। हमारे प्रदेश में हम गन्ना किसानों को सिर्फ 225 रूपये दे पा रहे हैं और फैक्ट्री मालिक उनको 175 रूपये में ब्लेक मेल करके उसका गन्ना खरीद रहे हैं, इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये । मध्यप्रदेश 1958 और 1959 का जो एक्ट है उसको भी हमें बदलने की जरूरत है। इसमें

मेरा यह निवेदन है कि फैक्ट्री मालिकों से अनुरोध है कि वहां पर जो गन्ना किसान आते हैं, उनको सुविधा प्रदान की जाए और उनके भुगतान की व्यवस्था सही समय पर की जाए और शासन की तरफ से बिजली की व्यवस्था कम से कम 10 घण्टे की जाए।

श्री गोपाल भार्गव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जो व्यवस्था है, खासतौर से बिजली की व्यवस्था के बारे में कि हम 10 घण्टे तीन फेस की बिजली देते हैं, यदि इसमें कहीं कोई कमी है तो हम ऊर्जा मंत्री जी से चर्चा करके वहां पर अनवरत रूप से बिजली प्रदाय करने की व्यवस्था करेंगे।

दूसरी किसानों के लिये जहां तक सुविधा की व्यवस्था का प्रश्न है, वहां पर मैं अपना एक अधिकारी भोपाल से भेजकर दिखवाऊंगा कि वहां पर किसानों के लिये विश्राम / छाया और पीने के पानी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह है या नहीं । अगर व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो उसकी व्यवस्था करवाऊंगा ।

तीसरी बात, जो किसानों को रोककर और बाद में गन्ने की तुलाई की जाती है जिसके कारण से गन्ने का वजन कम हो जाता है मैं इस बात को भी सुनिश्चित करूंगा कि जैसा मैंने अपने उत्तर में भी कहा है कि दो दिन में तुलाई हो जाए और यदि नहीं होती है तो जो गन्ना की फैक्ट्री है उसके विरूद्ध हम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

डॉ. कैलाश जाटव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन भी अधिकारियों की जांच समिति बनें तो क्या उसमें मुझे रखेंगे ?

श्री गोपाल भार्गव :- अध्यक्ष महोदय, हम माननीय विधायक जी को रख लेंगे और विधायक जी को सूचित करे देंगे।

डॉ कैलाश जाटव :- धन्यवाद् मंत्री जी ।

11.49 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी।

12.50 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

याचिका समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्टम्, सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन

सभापति, याचिका समिति (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आपके प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हूं. मैं याचिका समिति के सदस्यों के प्रति व अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ चूंकि अध्यक्ष महोदय, याचिका समिति के समस्त सदस्यों की सक्रियता अधिकारियों और कर्मचारियों की सजगता के कारण याचिका समिति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिवेदन तीन प्रतिवेदन हमने विगत सत्र में प्रस्तुत किए और आज मैं याचिका समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्टम्, सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ.

12.51 बजे

विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन.

श्री उमाशंकर गुप्ता (उच्च शिक्षा मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि –

''यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.''.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-

''यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.''.

[redacted]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

इस संबंध में निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी.

3. उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 02 मार्च, 2015 को 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.

4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.

5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.

12.53 बजे

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा.

अध्यक्ष महोदय—अब श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य, कृतज्ञता प्रस्ताव के संबंध में अपना भाषण प्रारंभ करेंगी.

श्रीमती अर्चना चिटनिस—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर मैं चर्चा की शुरुआत करते हुए, मध्यप्रदेश को कल ही तीसरी बार मिले कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी को उनके समस्त मंत्रिमंडल को, शासन को, प्रशासन को यह कहते हुए बधाई दूंगी कि अवार्ड एक बार मिलना बड़ी बात थी दूसरी बार मिलना बड़ी ही विशेष

बात थी पर तीसरी बार मिलना तो इस सरकार की कार्यशैली के सात्यता का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि—

नफ़स नफ़स में उतरना कमाल होता है,
नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है,
बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं,
बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है.

11.54 बजे {उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए }

उपाध्यक्ष महोदय, कम उत्पादन को बढ़ा लेना सहज सरल नहीं है फिर बढ़े हुए उत्पादन को और बढ़ा लेना अद्‌भुत है और लगातार तीसरी बार उसको और बढ़ा लेना तो कल्पनातीत है. मैं पुन: एक बार कृषि और अनुशांगिक विभागों की किन शब्दों में प्रशंसा करुं. हम वह राज्य हैं जो लगातार कृषि कर्मण अवार्ड ही नहीं जीत रहा है हम वह राज्य हैं जो दूसरी और तीसरी बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने के साथ ही साथ अति आधुनिक सेमी कंडक्टर फेब चिप बनाने का करार भी कर रहा है. उपाध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है यह करार परिणाम है माननीय मुख्यमंत्रीजी की उस अमेरिका यात्रा का जिसे अभी एक माह का समय भी पूरा नहीं हुआ है. आज मध्यप्रदेश एक आधुनिक एक प्रोग्रसिव स्टेट होने के साथ-साथ एक ऐसा राज्य हो गया है जहां विज्ञान और परम्परा का एक अनुकरणीय मेल एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश युगानुकूल और देशानुकूल विकास का एक मॉडल, एक ब्रांड स्टेट बन गया है. देशज और आधुनिक दोनों तकनीकों की उपयोग का मध्यप्रदेश ने

अपने आप में एक उदाहरण देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है. दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन व अंत्योदय के सिद्धांतों को साकार करने वाली शिवराज सिंह जी की इस सरकार के परिणाम का प्रतिसाद मध्यप्रदेश की जनता उसका लाभ ले रही है और उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है. इस समय मध्यप्रदेश न केवल देश की एक मोस्ट हैपनिंग स्टेट है बल्कि नये इनिशिएटिव्हस लेने वाली स्टेट के रूप में इंगित हुई है. ऐसा एक हफ्ता नहीं बीतता जब किसी अन्य राज्य का कोई प्रतिनिधि मंडल मध्यप्रदेश में कुछ देखने, कुछ समझने, कुछ नया सीखने न आए, ऐसा एक हफ्ता भी बीतता नहीं है. तीसरी बार सरकार बनाने के बाद वही उमंग और वही उत्साह बरकरार रहना मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की विशेषता है और प्रदेश की जनता और प्रदेश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी का अभिनंदन किए बिना बात पूरी न हो सकेगी. एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्यप्रदेश के नीमच जिले में कमीशंड हो चुका है और उस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्यप्रदेश को अवार्ड अभी 3 दिन पूर्व ही दिया है. मैं यह आज इस सदन में कहना बहुत आवश्यक समझती हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा रिन्युएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को कमीशंड करके ही इस सरकार को संतोष नहीं हो गया. मात्र उससे ही यह सरकार आनंदित नहीं हो गई. बल्कि अब रीवा जिले की गुढ़ तहसील में विश्व का सबसे बड़ा 750 मेगावॉट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है. अब रीवा जिले का गुढ़ दुनिया के नक्शे में अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में अपना स्थान बनाएगा.

11.56 बजे

कृषि कर्मण पुरस्कार पर बधाई.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्र)-- माननीय उपाध्यक्ष जी, मध्यप्रदेश को अभी, जैसा कि माननीया चिटनिस जी ने उल्लेख किया कि कृषि कर्मण पुरस्कार और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि, "बुलंदियों पर पहुँचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है." माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए (मेजों की थपथपाहट) वे इधर भी बुलंदियों पर ठहरे हैं, उधर भी बुलंदियों पर ठहरे हैं. मैं इसके लिए सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्यप्रदेश के किसानों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ. (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय-- आसंदी से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ. लगातार 3 वर्षों से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है. मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकर बधाई की पात्र है.

वन मंत्री (डॉ.गौरीशंकर शेजवार)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या विपक्ष के नेताजी को अच्छा नहीं लगा कि मध्यप्रदेश में किसानों को इतना बड़ा पुरस्कार तीसरी बार मिला है. खड़े होकर कहना चाहिए कि, "शिवराज सिंह जी मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ और आपको भी बधाई देना चाहता हूँ".. (व्यवधान)..किसानों के हित का मामला है...(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत-- हम किसानों को बधाई देते हैं. किसानों की वजह से मिला है...(व्यवधान)..

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बधाई देता हूँ... (व्यवधान)..इसका मतलब क्या आप किसानों का आप भला नहीं चाहते...(व्यवधान)..यह सिद्ध हो गया...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य-- बिल्कुल चाहते हैं...(व्यवधान)..

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- भला चाहते हों तो बधाई दें मुख्यमंत्री जी को... (व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत-- किसानों को बधाई देंगे..(व्यवधान)..

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)-- बोनस खतम करने का प्रस्ताव लेकर आइये.. (व्यवधान)..आप तो किसानों का जो बोनस खतम किया उसका प्रस्ताव लेकर आइये. हम बात करते हैं आप से और बधाई भी दे देंगे...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य-- उपाध्यक्ष महोदय, अभी कर्मण अवार्ड पर तो बधाई दे देना चाहिए...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- अर्चना जी, आप अपना भाषण जारी रखें...(व्यवधान)..

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह तय हो गया कि आपने अभी 90 प्रतिशत बधाई दी है...(व्यवधान)..10 प्रतिशत बचा कर रखी है. आपका धर्म है हम मानते हैं. आपने जो 90 प्रतिशत बधाई दी मुख्यमंत्री जी को इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं...(व्यवधान)..(मेजों की थपथपाहट)

श्री कमलेश्वर पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी स्वयं लेने नहीं गए इसलिए 10 प्रतिशत नहीं दे रहे हैं...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- अर्चना जी, आप अपना भाषण जारी रखें...(व्यवधान)..

श्री सत्यदेव कटारे-- (XX)...(व्यवधान)..

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अभी अमेरिका गए थे क्या वह उनकी व्यक्तिगत यात्रा थी या शासकीय यात्रा थी..(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, अभी यह जानकारी मांगना प्रासंगिक नहीं है... (व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत-- हम प्रदेश के किसानों के हमेशा साथ हैं और प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है वह किसानों की मेहनत से प्राप्त हुआ. है. इसके लिए प्रदेश के किसानों को बधाई...(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्रीजी को और मिलना चाहिए कृषि कर्मण पुरस्कार तो उन्हें मिल चुका है अब हम प्रतिपक्ष के लोग उन्हें एक पुरस्कार और देना चाहते हैं (XX).

श्री सुंदरलाल तिवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, (XX)

उपाध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं, यह गलत है. यह विलोपित कर दें.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्रीमती अर्चना चिटनीस-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर सकूं उसके लिए मैं आपका संरक्षण चाहती हूं, आपका सहयोग चाहती हूं और प्रतिपक्ष के साथियों का भी सहयोग चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय—तिवारी जी, आप बैठ जाएं अर्चना जी को अपना भाषण पूरा करने दें. व्यवस्था बनाने में सहयोग करें.

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव)-- उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अमेरिका जाएं या मंगल ग्रह पर जाएं तिवारी जी को इन सब से क्या लेना-देना है और यह बात कहाँ से उद्भूत हो रही है. यह अभिभाषण में है क्या.

उपाध्यक्ष महोदय--- भार्गव जी, आप भी बैठ जाएं.

श्री सुंदरलाल तिवारी--- उपाध्यक्ष जी, वह व्यक्तिगत यात्रा थी या शासकीय यात्रा थी यह मेरा सवाल है. अगर शासकीय यात्रा थी तो मुख्यमंत्रीजी ने अपना कोई स्टेटमेंट सदन में नहीं दिया है.

श्री गोपाल भार्गव--- तिवारी जी, यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, जब आपका अवसर आएगा तब आप अपनी बात रखियेगा. अभी आप बैठ जाएं. जब माननीय श्रीनिवास तिवारी जी, अध्यक्ष थे आप उन परंपराओं का स्मरण करिये,मैं खड़ा हुआ हूं और आप लगातार बोले जा रहे हैं. कृपा करके बैठ जाएं. अर्चना जी , आप अपनी बात रखें.

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमशः)

श्रीमती अर्चना चिटनीस-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में ही एक बात का उल्लेख किया था इसका दोबारा अभी हुई चर्चा के संदर्भ में फिर कहना आवश्यक है. माननीय मुख्यमंत्री जी की अमेरिका यात्रा को अभी एक मास भी नहीं हुआ और 13 फरवरी को इस प्रदेश को गौरव हासिल हुआ है अति आधुनिक सेमी कंडेक्टर

फेबचिप बनाने के करार को करने का, जो परिणाम है माननीय मुख्यमंत्री जी की अमेरिका की यात्रा का. माननीय अध्यक्ष महोदय, गुढ़ में न्यू रिन्युएबल एनर्जी के लिए ...

श्री सुदंरलाल तिवारी-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी सदन को बताएं कि अमेरिका में क्या करके आए हैं सरकार का पैसा खर्च हुआ है .

श्रीमती अर्चना चिटनीस-- मैं बता रही हूं.

श्री सुदंरलाल तिवारी--- यात्रा करके मुख्यमंत्री जी आए हैं और आप बता रही हैं, आप गई थीं क्या साथ में ?

श्रीमती अर्चना चिटनीस--- उपाध्यक्ष महोदय, नियम विरुद्ध बीच-बीच में टोका-टोकी करना विधानसभा के अंदर के कार्य को बाधित करना उचित नहीं है.

12.02 बजे (अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया बैठ जाएं.

श्रीमती अर्चना चिटनीस-- माननीय अध्यक्ष महोदय, गुढ़ में स्थापित होने जा रहे 750 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना के साथ ही मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में न्यू रिन्युएबल एनर्जी के हिस्से का 4.29 से बढ़कर 21 प्रतिशत का हिस्सा हो जाएगा जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा. मध्यप्रदेश जो आज से 12 वर्ष पहले एक पॉवर डिफिसिट स्टेट था आज पॉवर सरप्लस स्टेट हो गया है . अब किसी भी अन्य राज्य को जब बिजली की दरकार होती है , जब बिजली की जरूरत होती है तो अन्य राज्य मध्यप्रदेश की तरफ देखते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य में यह कहना चाहूंगी कि न केवल पॉवर जनरेशन बल्कि ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमताओं का भी निरंतर विस्तार हुआ है .किसी भी क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ते जाना मानो इस सरकार का

स्वभाव बन गया है हर क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों में निरंतरता राज्यपाल जी के अभिभाषण में परिलक्षित होती है . इस सदी की जितनी चुनौतियाँ हैं,ऐसे सारे विषय जो देश और अन्य प्रदेशों के चुनाव में चुनौतियों की तरह सामने आते हैं , चर्चा का विषय बनते हैं, चुनावों का मुद्दा बनते हैं उन संकटों के गहराने के पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्यप्रदेश में न केवल उनको टेकअप किया बल्कि समय से उन सभी विषयों को एड्रेस किया चाहे वह बिजली ,पानी या अधोसंरचना विकास का मामला हो , चाहे रोजगार के अवसरों की निर्मिती का विषय हो, चाहे महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाने का विषय हो.चाहे संविधान में उल्लेखित लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करने का दायित्व हो. मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2003-04 की तुलना में चार गुना बढ़ा है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. अगर मैं 2011-12 की बात न करुं, केवल एक ही साल की बात मैं करुं तो पिछले वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की अभिवृत्ति 11.08 प्रतिशत रही. केपिटल एक्सपेंडीचर की निरन्तर वृद्धि प्रदेश के चहुमुंखी विकास का लिट्मस टेस्ट है. पिछले दस वर्षों में न तो कभी ओव्हरड्राप्ट हुआ बल्कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली सरकार को 4475 करोड़ का राजस्व घाटा जो विरासत में प्राप्त हुआ था वह इस वर्ष 4479 करोड़ रुपये के राजस्व के आधिक्य का अनुमान किया जा रहा है. यह प्रशंसनीय है कि 99 प्रतिशत शासकीय भुगतान अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहे हैं. मैं सदन के माध्यम से शिवराज सिंह जी की सरकार को गांव-गांव के सभी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगी कि जिनके अथक प्रयास से जनधन योजना के अंतर्गत 01 करोड़ 41 लाख खाते खोले जा चुके हैं. सहकारिता मंत्री जी को मैं

बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने 15 हजार करोड़ रुपये के फसल ऋण देने का विस्तार सहकारिता के बैंकिंग के क्षेत्र में किया है. 15 हजार करोड़ रुपये के एडवांसेस किसानों को दिये जा रहे हैं. न केवल इतना बल्कि इस सरकार ने 4552 प्राथमिक सहकारी साख समितियों का कम्प्यूटराइजेशन भी कर लिया है. मैंने जो शुरुआत में कहा कि हमारी मध्यप्रदेश की सरकार एक अत्याधुनिक सरकार और परम्पराओं को गौरवांवित करने वाली सरकार के रुप में देश और दुनिया में अब जानी जा रही है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैविक खेती के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है. पूरे देश के जैविक उत्पाद में मध्यप्रदेश की भागीदारी 40 प्रतिशत है जो अपने आप में विलक्षण है. गेहूं, चना, सोयाबीन,चावल का उत्पाद तो निरन्तर बढ़ ही रहा है. 29 हजार हेक्टेयर फल, सब्जी और मसालों का विस्तार भी बढ़ा है और अगले वर्ष इसे 66 हजार हेक्टेयर में फल, सब्जी और मसालों का विस्तार करने की सरकार की योजना है. दुग्ध उत्पादन की वृद्धि इस मात्र एक ही वर्ष में 11 प्रतिशत रही और दूध का संकलन 40 प्रतिशत बढ़ा है. एक साल में दूध का संकलन 40 प्रतिशत बढ़ना अपने आप में श्वेत क्रांति मध्यप्रदेश में हो रही है, इसका परिणाम है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मत्स्यपालन एक बहुत गरीब व्यक्ति का विषय है और मत्स्यपालन के क्षेत्र में की गयी प्रगति का आंकलन इससे किया जा सकता है कि 38337 मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये जा चुके हैं और सरकार द्वारा मछुआरों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जा रहा है. मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि कृषि और मत्स्यपालन की तर्ज पर पशुपालन के क्षेत्र में भी ब्याज की सबसिडी

या ब्याज की शून्यता की ओर विचार करें तो उससे भी मध्यप्रदेश के जीडीपी के एनहेन्समेन्ट में एक बड़ा योगदान पशुपालन के क्षेत्र में किया जा सके.

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और जल संसाधन मंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग ने कमाल ही नहीं चमत्कार किया है जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी आयी तब मध्यप्रदेशमें 6 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमती थी और आज वह बढ़कर करीब करीब 30 हजार हेक्टेयर हो गयी और सन् 2018 तक 40 लाख हेक्टेयर क्षमता निर्मित्त करने की लक्ष्य पूर्ति के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. यह उल्लेखनीय है कि लघु सिंचाई योजनाओं का जो लक्ष्य था वह 150 का था और जो अचीवमेंट हुई है वह 197 की हुई हैं जो लक्ष्य से 47 लघु सिंचाई योजनाएं अधिक बनायी गयी हैं. पहले सरकारें बड़ी-बड़ी योजनाओँ के शिलान्यास करती थीं. 20-20 साल तक योजनाएं अधूरी पड़ी रहती थीं पर यह ऐसी सरकार है जो लघु, मध्यम और बड़ी योजनाओं का न केवल शुभारंभ करती है, बल्कि उनको पूर्ण करके किसानों को उनका लाभ पहुँचाने के लिए तत्पर है, अग्रसर है, प्रतिबद्ध है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार मानना चाहूंगी. माननीय मुख्यमंत्री जी को बार-बार धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने 2143 करोड़ से ज्यादा की नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक परियोजना को स्वीकृति दी और जिससे इंदौर, उज्जैन संभाग में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम होगा. सड़कों के क्षेत्र में पिछले एक ही साल में 2800 किलोमीटर की नई सड़कें बनीं, 4248 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण हुआ, 44 बड़े पुलों और रेलवे ओव्हरब्रिजेस का निर्माण हुआ. पंच परमेश्वर योजना ने तो मध्यप्रदेश के गाँवों की तस्वीर ही बदल दी. अब तक 9000

किलोमीटर के सी.सी. रोड गांवों के आंतरिक मार्गों के रूप में बन चुके हैं. खेत सड़क योजना अपने आप में एक मिसाल है. मुख्यमंत्री जी के युवा कांट्रेक्टर योजना के अंतर्गत 120 युवा इंजीनियर्स का पंजीयन हुआ है. बी.ओ.टी. और एन.ओ.टी. के माध्यम से सड़कें बनाने में मध्यप्रदेश ने देश में एक कीर्तिमान बनाया है. ग्रामीण विकास की दृष्टि से मेरी समझ में जो इससे भी महत्वपूर्ण काम हुआ है, उसका उल्लेख इस सदन में करना मैं बहुत आवश्यक समझती हूँ. ये काम स्वच्छता की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, ये काम महिलाओं के मान-सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. आजादी के बाद पहली बार इस काम को मिशन मोड में लिया गया, 37 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है. वे बहनें, वे महिलाएं, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वे सिर पर पल्ला लेकर रहें, लेकिन शौचालयों के अभाव में लोटा लेकर वे सड़क पर बैठें, इस विरोधाभाष की स्थिति का अगर किसी ने समाधान ढूंढा है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने ढूंढा है. 3 लाख से अधिक घरों में स्व-सहायता समूहों के सहयोग से शौचालय बनाने का अभियान प्रगति पर है. शहरों के मास्टर प्लान बनते तो हमने सुने थे, लेकिन इस सरकार ने शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने के साथ ही साथ 5982 गांवों में भी सुनियोजित दृष्टि से विकास करने हेतु मास्टर प्लान तैयार कर लिए हैं. मुख्यमंत्री आवास मिशन में अब तक 2 लाख से अधिक आवास निर्माण पूर्ण हो गए हैं, इस बार 82000 हितग्राहियों को शासकीय ऋण और अनुदान दिया गया है. मुख्यमंत्री आवास योजना एक उल्लेखनीय नवाचार है. आज मध्यप्रदेश में हर 5 किलोमीटर में बैंक की सुविधा है और जैसा मध्यप्रदेश का ग्रामीण अंचल है, जैसा मध्यप्रदेश का वनवासी क्षेत्र है, उसे देखते हुए 2400 अल्ट्रास्माल बैंक्स के जरिए सरकारी योजनाओं की सहायता राशि लोगों को गांवों

में ही मिल रही है. शत-प्रतिशत बसाहटों में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित कर दी गई है. पिछले 3 साल में 64 नए कालेज प्रारंभ किए गए हैं और 63 नवीन संकाय प्रारंभ किए गए. इस वित्तीय वर्ष में उच्च शिक्षा का ग्रॉस इन्रॉलमेंट रेशो 20.04 हो गया है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, अपने आप में प्रशंसनीय है. मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता इससे दिखता है. दिसंबर, 2014 तक 3569 छात्राओं को गाँव की बेटी योजना और 2545 छात्राओं को प्रतिभा किरण योजनाओं का लाभ मिला है. स्किल डेव्लपमेंट, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसे साकार करने के लिए पिछले सत्र में मध्यप्रदेश में 33 शासकीय और 130 नीजि आई.टी.आई. खोली गईं. महत्व की बात यह है कि केवल आई.टी.आई. ही नहीं खोलीं, बल्कि उनकी फेकल्टीज़ की आपूर्ति की प्रतिपूर्ति करने के लिए भोपाल में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रारंभ किया गया. शहरों में पेयजल की उपलब्धता के लिए 4500 करोड़ की 222 योजनाएं मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत मंजूर की गई हैं. 2 साल पहले ही मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन प्रारंभ किया गया और 2017 तक शहरी क्षेत्र में खुले में शौच की समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम में 1428 करोड़ की लागत के निर्माण कार्य शहरों में किए जा रहे हैं और इसका प्रतिसाद हमने पिछले नगरीय निकायों के चुनावों में 14 में से 14 नगर-निगम जीतकर इसको हमने देखा कि जो हम कर रहे हैं, वह जनता तक पहुँचा है और जनता उसको आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार को और इस दल को अपना समर्थन निरंतर दे रही है. प्रजातंत्र में जनसमर्थन से बड़ा प्रमाण और जनसमर्थन से बड़ा सर्टिफिकेट दूसरा और कुछ हो नहीं सकता.

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंहस्थ 2016 की तैयारी का आगाज तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के साथ ही हो गया था और यह योजना रिकार्ड समय में पूरी हुई. सिंहस्थ मास्टर प्लान के अंतर्गत 2205 करोड़ के कार्यों की मंजूरी दी जा चुकी है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ते शहरों की एक बड़ी समस्या है. गरीब आदमी जिसके पास स्वयं का वाहन नहीं है उसके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण है और पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा संकट है. उसको देखते हुए पब्लिक ट्रान्सपोर्ट को सुदृढ़ करने के लिये, 20 शहरों में रोड़ परिवहन सेवा के विस्तार के लिए 1500 बसों की खरीदी का प्रस्ताव किया गया है और वह तेजी से प्रगति पर है.

स्वास्थ्य सेवा ग्यारंटी योजना के अंतर्गत 18 स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाना मननीय शिवराज सिंह जी की सरकार की स्वास्थ्य की प्राथमिकता को दर्शाता है. अध्यक्ष महोदय, जननी सुरक्षा योजना के प्रारंभ होने के बाद संस्थागत प्रसव 87 प्रतिशत हो जाना प्रशंसनीय है और मातृ मत्यु दर 267 से घट कर 221 हुई है तथा शिशु मृत्यु दर 59 से बढ़ कर 54 हुई है. जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को,स्वास्थ मंत्री जी को और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं.

अध्यक्ष महोदय,सरदार वल्लभ भाई निःशुल्क औषधि वितरण योजना की सफलता और सार्थकता इससे आंकी जा सकती है.अध्यक्ष महोदय, मैं इसको अंडर लाईन करके कहना चाहती हूं कि शासकीय अस्पतालों में मरीजों की संख्या 86 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क योजना लागु होने के पश्चात हुआ है. प्रतिदिन 7 से 8 लाख नागरिक इसका लाभ ले रहे है, जिससे उत्साहित होकर सरकार ने अब सभी जिला अस्पतालों में केंसर हेतु कीमोथेरेपी,थैलेसीमिया,डायबिटीज,ब्लडप्रेशर तथा हृदय रोग के

लिए भी निःशुल्क औषधि वितरण का कार्य प्रारंभ किया है. अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की कार्यशैली कैसी है इसका एक बहुत छोटा उदाहरण सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूं . उन पचास हजार "आशा कार्यकर्ताओं" को प्रशिक्षण देकर मलेरिया रोगियों के उपचार के लिए गांव गांव में बुखार उपचार केन्द्रों की स्थापना हुई जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और उनके विभाग की गहरी सोच का परिचायक है. गांव-गांव में बुखार उपचार केन्द्र का संचालन आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है. बी.ओ.टी.(एन्यूटी) मोड में 861 करोड़ की लागत से शहडोल,रतलाम,विदिशा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं. विगत वर्षों में शिक्षा,वन,पुलिस, महिला बाल विकास, अन्यान्न विभागों में चार लाख से अधिक विभागों में शासकीय नौकरियां उपलब्ध करायी गयीं. स्व-रोजगार की दृष्टि से विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गईं.

प्रधान मंत्री जी द्वारा ग्लोबल मीट का जो शुभारंभ किया गया वह ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट अपने आप में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा आयोजन जिसमें था 32 देशों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की. 9 देशों न पार्टनर कन्ट्रीज के रूप में अपनी सहभागिता की. 28 देशों के राजदूत,उच्च आयुक्त शामिल हुए और समिट में 5.89 लाख करोड़ के 3176 प्रस्ताव मिले हैं. समिट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम.एस. एम.ई. पर विशेष तवज्जो देने की घोषणी की. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एम.एस. एम.ई. के क्षेत्र में की गई इस घोषणा के लिए बहुत सारी बधाई इसलिए देना चाहती हूं कि छोटे,लघु और मध्यम उद्योग जितना रोजगार सृजन करते हैं उतना रोजगार का सृजन बहुत बड़े उद्योग नहीं करते और एम.एस.एम.ई. पर विशेष जोर देने की घोषणा के साथ ही 100 करोड़ का वेंचर केपिटल फण्ड बनाया जा रहा है.

हमारा प्रदेश, देश के आठ खनिज राज्यों में से एक है ,प्रदेश इसके लिये संतुलित दोहन के लिए सजग है, राज्य में हीरे और बहुमूल्य खनिज की खोज के लिए 9 रिकोनेसेन्स परमिट (Reconnaissance permit)कार्यरत हैं. कोलबेड मीथेन की खोज के लिए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लायसेंस जारी किये गये हैं. पचमढ़ी में सिल्क म्यूजियम की स्थापना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को बधाई देती हूं और आज ही खादी के ब्राण्डिंग के लिए "कबीरा" ब्राण्ड की लांचिंग हुई. जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय कुसुम महदेले जी को मैं बहुत सारी बधाई देना चाहती हूं.

अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कौशल उन्नयन हेतु मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आदिम जाति, अनुसूचित जाति के 10000 हितग्राहियों को लाभ दिया जा चुका है. पोस्ट मैट्रिक, प्री-मैट्रिक छात्रावासों के विस्तार में न जाते हुए मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि दिल्ली में प्रतिष्ठित संस्थानों में 85 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी, ऑल इंडिया सर्विसेस के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं. यह मध्यप्रदेश की सरकार का कमजोर वर्ग के लिए दूरदर्शी और इस देश की प्रगति में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सुंदर कार्य योजना है. माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हुई, बल्कि आधी आबादी को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए अनेक अभिनव योजना लागू की गई हैं. न केवल स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है, बल्कि शासकीय नौकरियों में भी किसी विभाग में 50 प्रतिशत तथा किसी विभाग में 30 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है.

अध्यक्ष महोदय, लाड़ली लक्ष्मी योजना को कानून का दर्जा देना मुख्यमंत्री जी की कनविक्शन और कमिटमेंट को दर्शाता है. 18 लाख बेटियां अब तक इससे लाभान्वित हो चुकी हैं. वर्ष 2011 में लागू बेटी बचाओ अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक रूप से बनाते हुए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के रूप लागू किया गया है. दोनों योजनाओं से लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. विश्व बैंक ने मध्यप्रदेश की सरकार की 70 हजार से अधिक महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बनाकर बैंकों से जोड़ने की कार्ययोजना की प्रशंसा की है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को इस बात की बधाई देती हूं कि 20 जिलों में शौर्य दल का गठन किया गया है. बधाई इस बात की नहीं कि 20 जिलों में शौर्य दल का गठन हुआ, बल्कि बधाई इस बात की शौर्य दलों की रचना से 30.32 प्रतिशत की महिला हिंसा के प्रकरणों में गिरावट आई है.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, वह बहुत अच्छी वक्ता हैं, मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि आप पढ़कर बोल रही हैं? आप बहुत अच्छा भाषण देती हैं.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, उपलब्धियां इतनी है, वह किसी ग्रंथ से भी ज्यादा है, अब पढ़ना तो पड़ेगा.

श्रीमती अर्चना चिटनिस- अध्यक्ष महोदय, उपलब्धियां हैं, आंकड़ें हैं और लगातार 12 वर्षों की उपलब्धियों का विवरण है. जिसे मैं अपनी छोटी बुद्धि में एक साथ एक बार में संकलित करने में असमर्थ हूं. इसलिए मैं पढ़कर अपनी बात करने का प्रयास कर रही हूं. अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि शौर्य दलों की रचना के बाद में महिला हिंसा के क्षेत्र में 30.32 प्रतिशत की गिरावट आई है. महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने के लिए

मध्यप्रदेश ने देश में एक मिसाल कायम की है. मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर महिला अपराध के मामले में 15 दिन के भीतर चालान प्रस्तुत करने की व्यवस्था की है और राज्य स्तरीय महिला हेल्प लाईन नं. 1090 में वर्ष 2014 में प्राप्त 23340 शिकायतों में से 23339 शिकायतों का निराकरण हो चुका है. मैं फिर कहूंगी कि हेल्प लाईन नं. 1090 में प्राप्त 23340 शिकायतों में से 23339 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है. आंगनवाड़ी चलो अभियान और बाल स्वच्छता कार्यक्रम की व्यापक सफलता एक नयी कड़ी है. वर्ष 2013-14 में प्राकृतिक आपदाओं में, ऐसा कहीं कोई सरकार करती है कि प्राकृतिक आपदाओं में अपनी जनता के साथ इस प्रकार खड़ी हो कि एक ही वर्ष में 3200 करोड़ रुपए की राशि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को प्रदान की जाय! निवेशकों की सुविधा के लिए भूमि आवंटन, अभिहस्तांकन, बंधक नीतियों और लैंड बैंक की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हो गई है.

पर्यावरण में बदलाव आज की एक बड़ी चुनौती है. सारा संसार और भारत जैसा कृषि प्रधान देश भी उसका सामना कर रहा है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी की इस बात को लेकर प्रशंसा करना चाहूंगी, उनकी दूरदर्शिता (farsightedness) को इंगित करना चाहूंगी कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन शोध केन्द्र की स्थापना भोपाल में करने का निर्णय किया है, जिसका कार्य प्रगति पर है.

यह इस सरकार की अप डेटेड प्रोएक्टिव चिंतनशैली ही नहीं बल्कि कार्यशैली का द्योतक है. वर्ष 2014 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 184 पदक जीते हैं. लोक सेवा ग्यारंटी में 22 विभागों की 124 सेवाओं को अधिसूचित कर चुके हैं बल्कि अब 16 विभागों की 68 सेवाएं नागरिकों को आन लाइन दी जा रही हैं.

इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनव प्रयोग सीएम हेल्पलाइन का मैं इस सदन में उल्लेख करना चाहूंगी. यह सीएम आन लाइन की इफेक्टिवनेस इससे पता चलती है कि अब तक 6 लाख से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है. मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि मेरी जानकारी के अनुसार सीएम हेल्प लाइन के क्रियान्वयन के पश्चात् मानवाधिकार आयोग में शिकायतों में भारी कमी आयी है. लोकाधिकार का सम्मान और लोक कर्तव्य का निर्वहन ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है. संसदीय लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी तो है ही लेकिन जनहित में एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है. यह प्रदेश तरस गया है एक मजबूत विपक्ष को देखने के लिए. यह प्रदेश पूरे विपक्ष को एक साथ एक जुट बल्कि प्रभावी तरीके से काम करते हुए देखे यह इस प्रदेश के लोकतंत्र के लिए, यह इस प्रदेश के संसदीय प्रजातंत्र के लिए अति आवश्यक है.

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं. मैं यहां पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूं. पिछले दिनों में हमने देखा कि वर्षों के बाद में सारा कांग्रेस का नेतृत्व पहली बार एक साथ एक समय में एक मंच पर दिखा और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपकी ही

आभारी हूं कि आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता, आपकी सरकार की सफलता, आपकी पार्टी की चुनाव में निरंतर सफलताओं को देखते हुए, चाहे वह तथ्य निराधार थे, चाहे वह तथ्य बेमानी थे. लेकिन संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से एक बार चाहे वर्षों के बाद में आप सब एक साथ एकत्रित दिखे तो सही.

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इतना कहते हुए मैं अपनी बात को पूरा करूंगी कि बाधाएं आती हैं आयें, घिरें प्रलय की घोर घटाएं पांवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं कदम मिलाकर चलना होगा. हम यहां पर सत्ता दल का काम कर रहे हैं, आप विपक्ष काकाम करेंगे. जनहित में हमें कदम मिलाकर चलना होगा.

श्री गोपाल भार्गव -- जब बाढ़ आती है, सैलाब आता है तो सांप, बिच्छू, गोहरे, चीते, शेर, लक्डबग्घे आदि एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं. वैसे ही आप सब लोगों की एकता यहां पर हुई है.

श्री तरूण भनोत -- क्या आप लोग चाहते नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठें. अभी हम लोग शुरू हो जायेंगे तो वह उठकर चले जायेंगे. आप यह ही चाहते हैं क्या.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- मैं यहां पर हमारे विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहूंगी जिस प्रकार से आप राजनीतिक कारणों से वर्षों के बाद में एक साथ एक मंच पर दिखे हैं जनहित में भी आप इस प्रकार से एक साथ दिखते रहना और मध्यप्रदेश की सरकार का ही नहीं मध्यप्रदेश की जनता का भी निश्चित रूप से फायदा होगा.

श्री कमलेश्वर पटेल -- जनहित में इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोग, युवाओं के साथ में अन्याय हुआ है और लगातार हो रहा है, तीन वर्ष से व्यापम की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं छात्र परेशान हैं.

श्रीमती अर्चना चिटनिस -- अध्यक्ष महोदय इन पंक्तियों के साथ में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हास्य रूदन में तूफानों में अमर असंख्य बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा. आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद्.

अध्यक्ष महोदय :- राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में मेरे पास 13 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई है. उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें मैने अग्राह्य कर दिया है.

संशोधन बहुत विस्तृत स्वरूप के है, इसलिए मैं, पूरे संशोधनों को न पढ़कर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूँगा. जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
श्री बाला बच्चन	1
डॉ. गोविन्द सिंह	2
श्री दिनेश राय ''मुनमुन''	3
श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	4
श्री आरिफ अकील	5
श्री जितू पटवारी	6
श्री रामनिवास रावत	7
एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार	8
श्री सुखेन्द्र सिंह ''बन्ना''	9
श्री निशंक कुमार जैन	10
श्रीमती ऊषा चौधरी	11
श्रीमती शीला त्यागी	12
श्री बलबीर सिंह डण्डौतिया	13

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सदन में है पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो शपथपत्र में आरोप लगाये गये हैं उनका जबाव दें.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठे. आपका रिकार्ड में नहीं आ रहा है. तिवारी जी का कुछ रिकार्ड में नहीं आयेगा. मुकेश नायक जी अपनी बात प्रारंभ करें.

श्री सुंदरलाल तिवारी--(xxx)

अध्यक्ष महोदय-- कुछ रिकार्ड में नहीं आ रहा है. आप लोगों को अवसर है बोलने का आप उस समय बोलिये.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- श्री मुकेश नायक अपनी बात प्रारंभ करें.

श्री सुंदरलाल तिवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- आपके दल के ही सदस्य हैं उनको बोलने दीजिये. यह बात उचित नहीं है. आप कृपया बैठ जायें.

श्री यशपालसिंह सिसौदिया-- विधानसभा के नियम कायदे समझो तिवारी जी बैठ जाओ.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

श्री रामेश्वर शर्मा-- अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान सुंदरलाल तिवारी जी के बारे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह कितनी बार सदन को बाधित करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी बैठ जायें, यह बात ठीक नहीं है, आप हर बार व्यवधान उत्पन्न करते हैं. सभी सदस्य बैठ जायें. मुकेश नायक जी बोलें.

श्री के के श्रीवास्तव-- अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी कौन सी बीमारी से पीडित है, इनकी बीमारी ला इलाज है. इनका इलाज कराया जाना चाहिये.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय-- आप इस पर चर्चा होने देंगे या नहीं होने देंगे. यह उचित नहीं है बैठ जायें. तिवारी जी रिकार्ड में कुछ नहीं आ रहा है. बिना अनुमति के आप बोल रहे हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- आप बार बार बोलकर के व्यवधान डालते हैं. इस तरह से आप सभा का बाधित नहीं कर सकते.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय--यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है तिवारी जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं अनेक नियमों के तहत बोला जा सकता है आप उस पर क्यों नहीं बोलते.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- आप माननीय सदस्यों के अधिकार का हनन कर रहे हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- आपको इस तरह से बिल्कुल एलाउ नहीं किया जायेगा. कृपा करके बाठ जायें. चर्चा चलने दें.

श्री के के श्रीवास्तव-- यह बातों से मानने वाले भूत नहीं है. अध्यक्ष जी.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

श्री शंकरलाल तिवारी-- इनको चेयर फ्लू हो गया है भैया.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

श्री विश्वास सारंग -- रीवा के भ्रष्टाचार की बात करो.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

श्री के के श्रीवास्तव -- इनके पिता जी सदन के स्पीकर थे वह आसंदी से सदन की व्यवस्थायें चलाते थे उनका बेटा सदन को गुमराह करते हैं, सदन का समय बर्बाद करते हैं इनका तो डीएनए टेस्ट होना चाहिये.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय -- यह उचित नहीं है. बैठ जायें.

श्री रामेश्वर शर्मा-- अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान सुंदरलाल तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि कितने बार सदन को व्यवधानित करेंगे, कितने बार सदन को रोकेंगे और जो कागज तुम्हारे पास है वह अपने सुरक्षित स्थानों पर रखो. मध्यप्रदेश की सरकार ईमानदारी से चलाई है और प्रदेश की जनता ने हमारा साथ दिया है.

श्री निशंक कुमार जैन-- एसआईटी को शपथ पत्र दिया है, उसके बारे में भी कुछ बोल दो. 1,000 नोजवान जेलों में बंद हैं.

अध्यक्ष महोदय-- मुकेश नायक के अलावा किसी का नहीं लिखा जायेगा.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- (xxx)

श्री विश्वास सारंग -- (xxx)

श्री शंकरलाल तिवारी -- (xxx)

श्री रामेश्वर शर्मा -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- किसी को एलाउ नहीं किया है . सिर्फ मुकेश नायक जी के सिवाय.

श्री सुंदरलाल तिवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- सभी बैठ जायें इस विषय पर कोई डिवेट नहीं हो रही है. सिर्फ मुकेश नायक जी बोलेंगे.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- सभी लोग बैठ जायें . किसी का नहीं लिखा जायेगा.

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुमसिंह महदेले) -- अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है. सुंदरलाल जी को मौका मिलेगा उसमें क्यों नहीं बोलते. व्यवधान पैदा करने की क्या जरूरत है. अनर्गल बोलते जा रहे हैं.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठें, किसी का रिकार्ड में नहीं आ रहा है.

श्री सुंदरलाल तिवारी -- (xxx)

श्री विश्वास सारंग -- (xxx)

श्री अंचल सोनकर -- (xxx)

श्री शंकरलाल तिवारी-- (xxx)

श्री जितू पटवारी -- मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय--कोई विषय ही नहीं चल रहा है. व्यवस्था का प्रश्न क्या है.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

..(व्यवधान)..

श्री विश्वास सारंग -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- कृपया सभी माननीय सदस्य बैठ जायें. कृपया मुकेश नायक जी को बोलने दें. आप लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया बैठ जायें. ..(व्यवधान).. श्री मुकेश नायक जी को बोलने दें. कृपया आप लोग सभी बैठ जायें.

श्री जितू पटवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- आप बैठ जायें. मुकेश नायक जी बोलेंगे. नहीं, कोई एलाऊ नहीं. केवल मुकेश नायक जी एलाऊ हैं. (व्यवधान).. कृपया सब बैठ जाइये.

श्री रामेश्वर शर्मा -- (xxx)

श्री जितू पटवारी -- (xxx)

श्री रामनिवास रावत -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- कृपया आप सब लोग भी बैठ जायें. कृपया व्यवस्था बनायें. बैठ जाइये सब लोग. मुकेश नायक जी बोलेंगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- फिर आप खड़े हो गये. आप बैठ जायें.

श्री रामेश्वर शर्मा -- (xxx)

श्री शंकरलाल तिवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- कृपा करके सब लोग बैठ जायें. (व्यवधान).. कृपया बैठ जायें. मेरा सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन हैं कि चर्चा चलने दें. कृपया बैठ जायें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- फिर तिवारी जी खड़े हो गये. आप कैसे बैठेंगे. आप बार बार क्यों खड़े हो जाते हैं. आप बैठ जाइये कृपा करके. आप जो बोलें, नियमों के तहत बोलें.

..(व्यवधान)..

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री विश्वास सारंग -- (xxx)

श्री रामेश्वर शर्मा -- (xxx)

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- तिवारी जी, आप कृपा करके बैठ जायें. आप अपने खुद के सम्मान की तो रक्षा करें. कृपया बैठ जायें. कृपया सब लोग बैठ जायें. श्री मुकेश नायक.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- तिवारी जी, बैठ जाइये.

श्री विश्वास सारंग -- (xxx)

श्री रामेश्वर शर्मा -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- कृपया रामेश्वर जी, विश्वास जी बैठ जाइये. श्री मुकेश नायक जी अपना भाषण प्रारंभ करें.

श्री शंकरलाल तिवारी -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जायें. श्री मुकेश नायक.

श्री मुकेश नायक (पवई) -- अध्यक्ष महोदय, राज्यापल महोदय के अभिभाषण पर सम्मानित विधायिका महोदया का हमने अभी वक्तव्य सुना. सम्मानित विधायिका जी का..

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- नायक जी, सम्मानित विधायक जी. विधायिका कोई शब्द नहीं होता. इसी तरह से मंत्राणी शब्द भी कोई शब्द नहीं होता. मंत्री शब्द होता है. ..(हंसी)..

श्री मुकेश नायक -- अध्यक्ष महोदय, सम्मानित विधायक महोदया का हमने भाषण सुना. .. (जारी)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री मुकेश नायक-- संविधान के अनुच्छेद 175....

डॉ. गौरीशंकर शैजवार--यहां उल्लेखनीय यह है कि हिन्दी के प्रकांड विद्वान हैं वक्ता.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--शास्त्रों के ज्ञाता.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--कथावाचक.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--हमारे क्षेत्र के हैं, पन्ना जिले के, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा.

श्री मुकेश नायक--अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी कहानी से मैं अपना वक्तव्य शुरू करना चाहूंगा. एक तपस्वी ने अपनी निर्धनता से मुक्ति पाने के लिये तपस्या की. तपस्या करते करते, तपस्या करते करते एक युग बीत गया, एक प्रकांड साधु को बड़ी दया आई सिद्ध

पुरुष थे वह उस तपस्वी के पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिये तो तपस्वी बोला कि अनंत जन्मों का दरिद्र निर्धन हूं, मुझ पर दया करो कुछ ऐसा दे दो कि मुझे दरिद्रता से मुक्ति मिल जाये. उन्होंने एक शंख दे दिया और कहा इससे जो भी मांगोगे तुम्हें दे देगा.

श्री शंकरलाल तिवारी--क्या बात है (XX) अच्छा लिखकर लाये हो.

श्री मुकेश नायक--अब वह जो भी मांगता, वह शंख दे देता. एक चतुर आदमी को पता लगा कि तपस्वी के पास ऐसा शंख है कि इच्छित वस्तु दे देता है, उसने बड़ी ही चतुराई से उससे कहा कि मेरे पास एक ऐसा शंख है, जिससे जो मांगोगे वह दुगुना देता है अब मेरी आवश्यकतायें बहुत सीमित हैं...

श्री रामेश्वर शर्मा--मुकेश भाई, अजेय भारत पार्टी का चुनाव चिन्ह शंख ही था क्या?

श्री मुकेश नायक--मेरी आवश्यकतायें बिल्कुल सीमित हैं, इसलिये आप यह शंख ले लो, जो भी मांगोगे इससे यह दुगुना देता है इसीलिये यह शंख तुम ले लो और वह शंख मुझे दे दो. उस भोले भाले आदमी ने वह शंख ले लिया, अब उससे जब वह कहता कि एक रूपया दो , तो वह कहता दो रूपया ले लो. वह कहता दो रूपया दो, तो वह कहता चार रूपया ले लो.वह कहता चार रूपया दे दो, तो वह कहता आठ रूपया ले लो तो वह कहता भैय्या, आप देते नहीं हो, दुगुना कर देते हो तो उसने कहा भैय्या, हम देते नहीं हैं हम तो (XX) हैं. यह चले गये माननीय मुख्यमंत्री जी, यह मध्यप्रदेश के (XX) हैं इनसे जितना मांगो उसका दुगुना कर देते हैं.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री शरद जैन--आपके पास कहानी किस्सा सुनाने के अलावा कोई बात नहीं रह गई है, जनता ने भी नकार दिया है और आप अब सिर्फ कहानी किस्से सुनाओ.

अध्यक्ष महोदय--आपको 1 बजे तक का समय है, फिर ढाई बजे से अशासकीय कार्य है, तो आपसे अनुरोध है कि एक बजे तक अपनी बात समाप्त कर लें.

श्री मुकेश नायक--माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 175 और 176 की व्यवस्था के तहत् विधान सभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है और वह सरकार के एक साल का वार्षिक प्रतिवेदन होता है, एक वर्ष की उपलब्धियों का लेखाजोखा होता है लेकिन इसमें 2003 और 04 से तुलना की गई है यह कितना दुर्भाग्यजनक है, भ्रम पैदा करने के लिये. इन्होंने कहा है कि 2003 और 04 में राज्य का जो सकल घरेलू उत्पादन है, वह 1 लाख, 2 हजार, 8 सौ उन्तालीस करोड़ था. वर्ष 13-14 में 4 लाख, 50 हजार, 900 करोड़ अनुमानित है. उन्होंने कहा कि यह जो सकल घरेलू उत्पादन है, उसमें वृद्धि 11.8 परसेंट रही, अगर ऐसा सही है तो सामान्य सदस्य यह बतायें कि अगर सकल घरेलू उत्पादन मध्यप्रदेश में बढ़ा है, तो बेरोजगारी क्यों बढ़ी ? अगर प्रोडक्शन बढ़ा है, सकल घरेलू उत्पादन बढ़ा है, अगर ग्रोथ हुई है, लोगों ने मेहनत की है तो रोजगारों की संख्या बढ़नी चाहिये. 2003 में रोजगार कार्यालयों मे जो बेरोजगारों का जो रजिस्ट्रेशन है, वह 9 लाख संख्या बताता है और यह हम नहीं कहते, आपकी सरकार में जो रोजगार दफ्तर है, उसमें जो बेरोजगारों का जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी संख्या 9 लाख है और दिसंबर, 12 में यह संख्या 20 लाख, 67 हजार हो गई. अगर आपका डोमेस्टिक प्रोड्क्शन बढ़ा है आपने प्रगति और विकास किया है, आपके घरेलू उद्योग विकसित हुए हैं तो बेरोजगारों की संख्या गुणात्मक रूप से क्यों बढ़ रही है इसकी जरा चर्चा करें. आप कहते हैं

2003-04 में जो बजट का घाटा है, वह कम हो गया है, आपने आंकड़ा दिया है. 2003-04 में बजट का घाटा जो 4 हजार 4 सौ 75 करोड़ था, 2012-13 में 4 हजार 4 सौ 89 करोड़ हो गया है, यानि राजस्व सरप्लस हो गया. अब कोई यह नहीं बताता कि 2003-04 में घाटा कम क्यों हुआ है, यह एक भाषण है माननीय राघव जी का जिन्होंने 2004 के वार्षिक बजट के भाषण में कहा कि केन्द्र सरकार से 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जो 3 हजार करोड़ रूपये मिलना चाहिये उसके एन्टीसिपेशन में सरकार ने अपने घरेलू स्रोतों से पैसे खर्च कर दिये, लेकिन माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार द्वारा यह 3 हजार करोड़ रूपये राज्य शासन को नहीं मिले हैं. दूसरी चीज यह 2004 में तत्कालीन वित्तमंत्री माननीय राघव जी ने अपने बजट भाषण में इस बात की चर्चा की है मैं इसकी कापी भी लाया हूं अगर सम्मानित सदस्य इसको देखना चाहें तो इसको सदन के पटल पर भी रख दूंगा. तत्कालीन वित्तीय घाटे का कारण एक और है सन् 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ हमने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विद्युत परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं के लिये शक्ति लगाई और मध्यप्रदेश में जो बजट बनता था उसका एक बड़ा हिस्सा हमने पिछड़े हुए छत्तीसगढ़ के निर्माण में उसका नियोजन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के कारण जब हमें छत्तीसगढ़ से लाभ लेने का अवसर आया तब छत्तीसगढ़ अलग हो गया और जो सरप्लस बिजली मध्यप्रदेश में लगभग 8 सौ मेगावाट बिजली की कमी थी उस समय छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के कारण जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रीसिटी प्रोड्क्शन की जो विद्युत परियोजनाएं थीं वह छत्तीसगढ़ में चली गईं और छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सम्मिलित देनदारियां थीं, जो कर्ज था तथा दूसरी देनदारियां थीं उसकी पूरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश सरकार के ऊपर आ गई इसके कारण बजट का घाटा उस समय कम हुआ और

आपका बजट दिखाई देता है, वह केवल भ्रम है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, आपने सही तथ्य छिपाने की कोशिश की है. आपने एग्रीकल्चर प्रोड्क्शन की बात कही है और आपने बड़े उत्साह के साथ कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने तीसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर लिया, वैसे तो माननीय शुक्ला जी भी बैठे हैं इन्हें भी बिजली का कोई पुरस्कार मिला है, आप भी बड़े ऊंचे खिलाड़ी निकले हैं.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, एशिया का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है उसके लिये पुरस्कार मिला है इसमें आपको भी खुशी होनी चाहिये.

श्री ओमप्रकाश सकलेचा—सोलर प्लांट चालू होने के बाद उनको पुरस्कार मिला है.

श्री मुकेश नायक—माननीय अध्यक्ष महोदय, सोलर एनर्जी का जो प्लांट आपने लगाया है उसकी भी मुझे खुशी है मध्यप्रदेश में जो बिजली का संकट है, किसानों को जो बिजली नहीं मिल रही है.

श्री के.के.श्रीवास्तव—2003 के पहले की याददास्त जरा ताजा करें. मध्यप्रदेश की दुर्गति के दिन याद करें.

श्री रामेश्वर शर्मा—माननीय नायक जी सच्चाई को कबूल करना भी सीख लीजिये. आपको तो ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देनी चाहिये.

श्री मुकेश नायक—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एग्रीकल्चर प्रोड्क्शन और कृषि के क्षेत्र में बहुत उत्साहजनक प्रगति की बात हुई है और यह कहा गया कि मुख्यमंत्री जी ने लगातार तीसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर लिया है, ऐसा लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी हल, बखर चलाते हों.

श्री के.के.श्रीवास्तव—हमारी योजनाओं के कारण तथा किसानों को दी गई सुविधाओं के कारण ऐसा हुआ है.

श्री ओमप्रकाश सकलेचा—माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार ने 1980 में जो नर्मदा के पानी का बंटवारा हुआ था उसका कभी उपयोग नहीं किया जिसके कारण मध्यप्रदेश के किसान 15 साल तक परेशान रहे.

श्री मुकेश नायक – नर्मदा की ऊंचाई 455 फीट बढ़ा दी. माननीय नरेन्द्र मोदी जी से जरा इसके बारे में भी बात कर लेना कि आपके कितने गांव डूब में आ रहे हैं. मध्यप्रदेश की कितनी उर्वरा भूमि उसकी चपेट में आ रही है और पुनर्वास की क्या स्थिति है यह बात भी कर लेना. 455 फुट ऊंचाई बढ़ा दी और गरुणेश्वर सिंचाई परियोजना में राज्य शासन को जो 255 करोड़ रुपये देना थे वह इसलिये नरेन्द्र मोदी जी ने नहीं दिये कि नर्मदा के पानी का लाभ पूरा का पूरा गुजरात को मिले.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा - 1979 में जिस पानी का बटवारा हुआ उसको जब से 2003 तक पूरे मध्यप्रदेश के अधिकार का पानी कांग्रेस की सरकारों ने नहीं रोका और गुजरात में बहने दिया और आज वह उस ऊंचाई की बात करते हैं बड़ी (XX) बात है. जनता कांग्रेस से हिसाब मांगेगी कि नर्मदा का पानी क्यों बर्बाद होने दिया.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री मुकेश नायक - अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह जो व्यवधान में समय जाता है आप मुझे उतना समय देने की कृपा करें. मध्यप्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2004-05 में मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर शून्य थी. 2007-08 में कृषि

विकास दर शून्य से नीचे चली गई और यह माईनस 2.44 प्रतिशत हुई और 2010-11 में आपको मालूम है मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर क्या थी . यह आपकी सरकार ने मध्यप्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है. वह किताब आपको दी गई है. थोड़ा पढ़ा-लिखा करिये, फिर आप मुख्यमंत्री जी की गिरदावली का वाचन क्यों कर रहे हैं आप सत्य कथन करिये.2010-11 में मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर माईनस 1.59 थी. यह मध्यप्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में इस सरकार ने बात कही है कोई मैं नहीं कह रहा हूं. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े-बड़े वायदे कृषि के क्षेत्र में किये गये. अमानक बीज की बात आपने नहीं की कि अमानक बीज के कारण किसानों को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है. एक तरफ अति वृष्टि और मौके पर सूखा. सब तरह की प्राकृतिक विपदाओं का सामना करते हुए मध्यप्रदेश के किसान ने अपनी मेहनत और अपने पसीने के बल पर अपनी क्षमताओं के कारण, उन्नति और प्रगति की उम्मीद के कारण, जितनी अविराम मेहनत और परिश्रम किया उसका परिणाम है कि मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ा. राज्य सरकार ने तो किसान की टांग खींचने में कोई कमी नहीं रखी. आप बताईये आपने समय पर बीज नहीं दिया. आपने समय पर खाद नहीं दिया. आपने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया. जितनी किसानों की विकास यात्राएं निकालीं. जितने ढोल आपने पीटे. केवल मुख्यमंत्री की निजी छवि चमकाने का प्रयत्न आपने किया. मध्यप्रदेश के किसानों को आपने कुछ नहीं दिया. फसल बीमा योजना की आप बा बात करते हैं . फसल बीमा योजना के बड़े-बड़े दावे करते हैं. आप बताईये कि एक तरफ तो फसल बीमा योजना और कृषि उद्यानिकी की केंद्र शासन ने संरक्षण की बात कही है. दूसरी तरफ आप बताईये कि प्याज का उत्पादन मध्यप्रदेश में 2008-09 में 5 लाख 82 हजार मीट्रिक टन हुआ माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ा जागिये. जो 2011-12 में बढ़कर 19

लाख 57 हजार मीट्रिक टन हुआ किन्तु उतना उत्पादन बढ़ने के बाद भी मूल्य वृद्धि क्यों नहीं रुकी, दाम कम क्यों नहीं हुए और इसका सीधा-सीधा कारण था कालाबाजारी. राज्य सरकार ने जमाखोरों को प्रोत्साहन दिया. जब जरूरत थी तब गोडाउन में जमाखोरों ने प्याज और आलू रख लिया. मांग और पूर्ति में असंतुलन बना और बढ़ती हुई कीमतों का फायदा न तो मध्यप्रदेश के नागरिकों को हुआ न किसानों को हुआ. बिचौलिये पूरा का पूरा फायदा ले गये और यह (XX).

श्री जसवंत सिंह हाड़ा – आप थोड़ा चुनाव में बता देते, गांव-गांव में जाकर तो आपका भला हो जाता.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री मुकेश नायक – बताया है तभी तो जीतकर आये हैं. चिंता न करो 15 साल हो गये और(XX) .

श्री जसवंत सिंह हाड़ा – दिल्ली वालों को भी बता देते उनका भी यही हाल हुआ.

श्री जितू पटवारी - दिल्ली में आपकी क्या हालत हुई उसका भी अंदाज लगा लीजिये. सात महिने में जहां सरकार बनना थी वहां 2 पर आ गये 1 तो अकाली दल का है. हम जीरो हुए तो तुम भी जीरो हुए.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा :- जीरो-जीरो ब्याज भी जीरो, कांग्रेस भी जीरो । जीरो ब्याज और कांग्रेस जीरो । ये चुनाव में बोला करें, सदन में बोलने की बात नहीं है।

श्री गोपाल भार्गव :- कृषि मंत्री जी सदन में नहीं हैं आप लिखकर दे दीजिये हम उनको भिजवा देंगे।

श्री मुकेश नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्यानिकी मिशन को केन्द्र ने संरक्षण की बात कही है। मध्यप्रदेश में सब्जियां 98 लाख 71 हजार मीट्रिक टन होती हैं और मसालों का उत्पादन 28 लाख दो हजार मीट्रिक टन होता है। फलों का उत्पादन 37 लाख 62 हजार मीट्रिक टन होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती की इतने विपुल उत्पादन होने के बाद भी फलों का, सब्जियों का और मसालों का क्या कारण है कि मध्यप्रदेश की सरकार फसल बीमा योजना का लाभ इन फसलों को नहीं देती है। दूसरा क्या कारण है कि मध्यप्रदेश के उपभोक्ताओं को, मध्यप्रदेश के नागरिकों को इसका फायदा नहीं मिलता, इसका कारण है बिचौलिये । मसालों की जिस तरह से कालाबाजारी होती है, फलों की जिस तरह से कालाबाजारी होती है। भारत के किसी भी राज्य में इस तरह का स्टाक नहीं रखा जाता है। जितना मध्यप्रदेश में रखा जाता है।

सुश्री कुसुम सिंह महदेले :- अध्यक्ष महोदय, कम से कम आपने यह तो स्वीकार किया कि फल और मसालों की पैदावार बढ़ी है। अब हम फायदा भी देंगे।

श्री रामनिवास रावत:- किसानों को धन्यवाद देना चाहिये ।

श्री मुकेश नायक :- जो भी प्रगति हो रही है उसका लाभ केवल बीजेपी के नेताओं को ही मिल रहा है।

सुश्री कुसुम सिंह महदेले:- जो नीति बनाई है उसको कार्य रूप में परिणित किया है।

श्री मुकेश नायक :- हम यह कहना चाहते हैं कि जो भी प्रगति और विकास होता है वह सिर्फ बीजेपी के नेताओं का होता है।

श्री रामेश्वर शर्मा :- मुकेश जी देखा आपकी तरफ से कितने लोग उठकर जा रहे हैं, यह क्या हो रहा है। आपको नहीं झेल पा रहे हैं क्या ?

श्री मुकेश नायक :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दुग्ध उत्पादन की बात कही है, माननीय मंत्री महोदया बैठी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो दुग्ध उत्पादन मध्यप्रदेश में बढ़ा है, एक तरफ तो आप कहती हैं कि प्रदेश में भैंसों और गायों की संख्या कम हुई हैं, यह सरकार का जवाब है मेरे पास तो पूरी इस्टेटिक्स है, मैं आपको बता दूंगा कि जब गाय कम हो गयी, जब भैंसे कम हो गयी तो दूध का उत्पादन कैसे बढ़ा तो दूध का उत्पादन कैसे बढ़ा, क्या बैल और भैंसे दूध देने लगे ।

सुश्री कुसुम सिंह महदेले :- अध्यक्ष महोदय, संकर प्रजाती के पशु बढ़े हैं। उन्हीं के जरिये दुग्ध का उत्पादन बढ़ा है।

श्री मुकेश नायक :- अध्यक्ष महोदय, यह संकर प्रजाति क्या होती है। एक तरफ तो आप गऊ माता की बात करते हैं और (XX)

श्री शरद जैन :- मुकेश भाई आप इलाजिकल बात कर रहे हैं। खेत खलिहान भी वही है, पैदावार क्यों बढ़ गयी अब आप यह भी बात करेंगे ।

श्री मुकेश नायक :- मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करना चाहूंगा ।

श्री शरद जैन :- अध्यक्ष महोदय, इस बात को कार्यवाही से निकाल दें ।

अध्यक्ष महोदय:- इसको कार्यवाही से निकाल दीजिये ।

श्री मुकेश नायक :- जो सच्ची बात है उसको कार्यवाही से निकाल दें, (XX) कार्यवाही से निकालना पड़ रहा है।

श्री के.के.श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता था कि यह महर्षि महेश योगी के साथ मिलकर के बड़े अच्छे प्रवचन देते थे । लेकिन पता नहीं कि इनकी मानसिकता को क्या हो गया।

श्री जसवंत सिंह हाड़ा :- मुकेश जी आपको बोलने के पहले थोड़ा बहुत सोचना चाहिये।

श्री मुकेश नायक :- आपको कर्म करने के पहले सोचना चाहिये, मैं भी बोलने से पहले सोचूंगा। पहले विचार होता है फिर क्रिया होती है। आप जो (XX) कर रहे हैं वह करने से पहले सोचें, हम कुछ बुरा बोल रहे हैं उसके बारे में बाद में सोचेंगे।

अध्यक्ष महोदय—यह भी निकाल दें कार्यवाही से.

श्री शरद जैन—कौन से (XX) की बात कर रहे हैं आप.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, (XX) शब्द कार्यवाही से निकलवा दें.

अध्यक्ष महोदय—कार्यवाही से निकलवा दिया है.

श्री मुकेश नायक—नर्मदा परियोजना की अभी सम्मानित विधायक महोदय ने बात कही. जून 2014 में..बहुत व्यवधान हो रहा है बोलने नहीं दिया जा रहा है लय कैसे बनेगी.

श्री शरद जैन—सुन्दरलाल तिवारी चले गये.

श्री मुकेश नायक—बार-बार माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि एक बजे तक का समय है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है.

अध्यक्ष महोदय—विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 के अन्तर्गत आज की बैठक के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य हेतु नियत हैं परन्तु आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दोपहर 1.00 बजे तक चर्चा उपरांत सदन के समय में वृद्धि कर कार्य सूची में उल्लिखित अशासकीय कार्य लिया जायेगा. मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

आप अब समाप्त कर दें.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, हम तो अगली दफे बोलने के पहले ही समाप्त कर देंगे. आपने जल संसाधन विभाग की सब अन्य सदस्यों ने बात कही है जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में जिन 511 परियोजनाओं का उल्लेख है उन पर 3480 करोड़ रुपये की लागत आना बताया गया है सच्चाई यह है कि परियोजनाओं को मंजूरी देने से लेकर उनके क्रियान्वयन तक हुई देरी और निर्माण कार्य में देरी के कारण लागत बढ़ी है मूल लागत 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं थी इसका आप अलग से ऑडिट कराकर देख लें तो आपको पता लगेगा. जून 2014 में नर्मदा बांध की ऊंचाई 455 फीट कर दी गई. क्या आपको पता है नर्मदा परियोजनाओं पर एस्केलेशन कॉस्ट कितनी है आप सदन को अपने भाषण में बतायें.

श्री ओमप्रकाश सकलेचा—एस्केलेशन कॉस्ट तो इसलिए आई की कांग्रेस की सरकार ने 15 साल तक काम ही नहीं किया पूरे मध्यप्रदेश के किसानों के हिस्से का पानी बहकर बर्बाद हो गया.

श्री रामनिवास रावत—जरुरी है क्या स्पष्टीकरण देना जब आपका भाषण होगा तब बोल लेना.

श्री मुकेश नायक—हद हो गई, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने व्यवधानों के बीच में और सत्ताधारी लोगों के चढ़े मद के कारण, हस्तक्षेप के कारण, नहीं सुनने की प्रवृत्ति के कारण, असत्य बोलना और सत्य नहीं सुनने की आदत के कारण मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर रहा हूँ.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मुकेश जी के पास विषय पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है तो वे सत्तापक्ष पर क्यों आरोप लगा रहे हैं. वे बोलेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे. मैं देख रहा हूँ कि जब भी वे बोलते हैं अंत में वे यही बोलकर बैठते हैं कि आप व्यवधान कर रहे हैं इसलिये समाप्त कर रहा हूँ.

श्री के.के. श्रीवास्तव—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शुरु में तो ठीक बोलते हैं लेकिन बाद में पता नहीं कहां-कहां कौन सी दिशा में भटक जाते हैं. इनका प्रस्तुतीकरण प्रारंभ में ठीक रहता है.

1.03 बजे

अशासकीय संकल्प

(1) 12160 जबलपुर से अमरावती सुपर एकसप्रेस ट्रेन को जबलपुर के स्थान पर कटनी से चलाया जाना तथा 12159 अमरावती जबलपुर सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को अमरावती से कटनी तक चलाया जाना

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया(मंदसौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "सदन का यह मत है कि 12160 जबलपुर से अमरावती सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को

जबलपुर के स्थान पर कटनी से चलाया जाये तथा 12159 अमरावती जबलपुर सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को अमरावती से कटनी तक चलाया जाये."

अध्यक्ष महोदय—संकल्प प्रस्तुत हुआ.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा)—अध्यक्ष महोदय, हम यशपाल जी के संकल्प से सहमत हैं माननीय अध्यक्ष महोदय इसे सर्वानुमति से पास करें.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि

"सदन का यह मत है कि 12160 जबलपुर से अमरावती सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को जबलपुर के स्थान पर कटनी से चलाया जाये तथा 12159 अमरावती जबलपुर सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को अमरावती से कटनी तक चलाया जाये."

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

(2) भोपाल से उदयपुर एवं उदयपुर से भोपाल व्हाया चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाना

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा अशासकीय संकल्प भी इसी अपेक्षा के साथ है जिस प्रकार से संसदीय कार्य मंत्रीजी ने सर्वानुमति से स्वीकृति देने का निर्णय कर दिया है. अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि सदन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सीधी एक ट्रेन जो रतलाम,उज्जैन, जावरा, नीमच, चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर पहुंचे. माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपाल झीलों की नगरी है और उदयपुर भी झीलों की नगरी है. यहां से पर्यटकों के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए व पुरातत्व व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उदयपुर का बड़ा महत्व है मैं सदन से इस बात को लेकर अपेक्षा करुंगा कि यह अशासकीय संकल्प केन्द्र सरकार को सर्वानुमति से भेजा जाये इसलिये कि उदयपुर शहर का अपने आप में बड़ा महत्व है और चूँकि हम राजधानी भोपाल में बैठे हैं. अध्यक्ष महोदय, एक भी गाड़ी सीधी उदयपुर के लिए यहाँ से नहीं है. मैं समझता हूँ ओम सकलेचा जी भी, राजेन्द्र पाण्डेय जी भी, दिलीप सिंह परिहार जी भी, हमारे सबके क्षेत्र का यह मामला है. इस प्रस्ताव को अशासकीय संकल्प के माध्यम से...

श्री रामेश्वर शर्मा-- हमारा भी समर्थन है.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- रामेश्वर जी भी बैठे हैं. अध्यक्ष महोदय, इस अशासकीय संकल्प के माध्यम से एक ट्रेन, विशेष रूप से सीधी भोपाल से चलकर उदयपुर तक चले. ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अशासकीय संकल्प मैं सर्वानुमति की अपेक्षा के साथ में प्रस्तुत करता हूँ.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय , हम प्रस्ताव से सहमत हैं इसे सर्वसम्मति से पारित करें.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि-

श्री रामनिवास रावत-- प्रश्न की जरूरत ही नहीं है. सहमत हैं. सर्वानुमति से पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, प्रश्न रखना पड़ेगा.

प्रश्न यह है कि-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल से उदयपुर एवं उदयपुर से भोपाल व्हाया चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए."

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(3) पूर्व-मध्य रेल्वे ज़ोन में सम्मिलित जिला सिंगरौली के स्टेशन करैला रोड सिंगरौली, महदैइया, को पश्चिम-मध्य रेल्वे ज़ोन जबलपुर में सम्मिलित किया जाना.

श्री रामलल्लू वैश्य(सिंगरौली)-- मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि-

"सदन का यह मत है कि पूर्व-मध्य रेल्वे ज़ोन में सम्मिलित जिला सिंगरौली के स्टेशन करैला रोड सिंगरौली, महदैइया, को पश्चिम-मध्य रेल्वे ज़ोन जबलपुर में सम्मिलित किया जाए."

अध्यक्ष महोदय-- संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री रामलल्लू वैश्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पूर्व-मध्य रेल्वे का जोन हाजीपुर बिहार में पड़ता है. यहाँ से हर छोटे-मोटे तमाम स्टेशनों के कार्यों के लिए...

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ.नरोत्तम मिश्र)-- अध्यक्ष जी, इससे सहमत हैं.

अध्यक्ष महोदय-- उनको दो मिनट बोल लेने दें. वैश्य जी, आप संक्षेप में अपनी बात कर दें.

श्री रामलल्लू वैश्य-- अध्यक्ष महोदय, सिंगरौली से रेल्वे को 14 करोड़ प्रति दिन कोयले की ढुलाई से आय होती है. जबकि वहाँ की सुविधाओं की दृष्टि से नगण्य है और यह

मध्यप्रदेश के जबलपुर जोन में शामिल हो जाने से हमारे मध्यप्रदेश को भी उस आय का लाभ मिलता और आवागमन की सुविधा होती उसमें और भी वृद्धि होती इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर्वानुमति से पश्चिम-मध्य रेल्वे जोन जबलपुर में उक्त स्टेशनों को शामिल किया जाए. ऐसा केन्द्र सरकार से अनुरोध करने के लिए निवेदन करता हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि-

"सदन का यह मत है कि पूर्व-मध्य रेल्वे ज़ोन में सम्मिलित जिला सिंगरौली के स्टेशन करैला रोड सिंगरौली, महदैइया, को पश्चिम-मध्य रेल्वे ज़ोन जबलपुर में सम्मिलित किया जाए."

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(4) जिला उज्जैन में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्मित आकाशवाणी केन्द्र में आवश्यक कर्मचारियों/अधिकारियों की पदस्थापना कर शीघ्र प्रारंभ किया जाना.

डॉ.मोहन यादव(उज्जैन-दक्षिण)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जिला उज्जैन में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्मित आकाशवाणी केन्द्र आवश्यक कर्मचारियों/अधिकारियों की पदस्थापना कर शीघ्र प्रारंभ किया जाए."

अध्यक्ष महोदय-- संकल्प प्रस्तुत हुआ.

डॉ मोहन यादव-- माननीय अध्यक्ष जी, उज्जैन में लगभग 10 साल पहले आकाशवाणी केन्द्र के लिए ढाई एकड़ जमीन, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा कीमत की, इस शर्त पर दी गई थी कि उज्जैन में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना की जाना चाहिए थी. दुर्भाग्य यह है कि आकाशवाणी केन्द्र के लिए जितनी महँगी जमीन दी गई है, उन्होंने वहाँ आज की स्थिति में मात्र एक रिले सेंटर खड़ा कर दिया है. यद्यपि उस संबंध में कई बार आँदोलन भी हुए, कई बार आश्वासन भी मिले, वर्तमान में पूरा भवन बन कर तैयार है

लेकिन बॉम्बे से बने बनाए कार्यक्रम केवल रिले सेंटर 10 किलोवाट के माध्यम से वहाँ से वे रिले कर रहे हैं. मेरा निवेदन है कि जो उनकी पूर्व निर्धारित योजना है जिसमें भवन बन कर तैयार हुआ है तो वहाँ प्रोडक्शन भी कार्यक्रमों का होना चाहिए, अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना भी की जाना चाहिए. साथ ही साथ अब जब सिंहस्थ आगे आने वाले समय में आ रहा है, 5 करोड़ से ज्यादा यात्री आ रहे हैं. ऐसे समय में आकाशवाणी के केन्द्र की महत्ता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है. वर्तमान में छोटे-छोटे स्थान पर आकाशवाणी केन्द्र विधिवत चालू हो गया है. ऐसे में उज्जैन में इसकी अत्यंत आवश्यकता है. उज्जैन कला संस्कृति की नगरी भी है और वैसे भी हमारे लिए दैनंदिन के दिनों में भी जब त्यौहारों में भी लगभग 1 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष आते हैं. ऐसे में आकाशवाणी केन्द्र के माध्यम से हमारे अपने इस शहर को यह सौगात मिलना चाहिए, जो उनकी पूर्व योजना है. वर्तमान में इसकी अत्यंत आवश्यकता है.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सहमत हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- सर्वसम्मति से.

अध्यक्ष महोदय--- प्रश्न यह है कि

यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जिला उज्जैन में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्मित आकाशवाणी केन्द्र आवश्यक कर्मचारियों/अधिकारियों की पदस्थापना कर शीघ्र प्रारंभ किया जाये.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(5) लोकनिर्माण विभाग द्वारा रतलाम जिले के जावरा शहर में रेल्वे स्टेशन के पास ओवरब्रिज निर्माण हेतु बजट में प्रावधान कर बीच के हिस्से के ब्रिज का शीघ्र निर्माण करने हेतु रेल मंत्रालय से आग्रह किया जाना.

अध्यक्ष महोदय--- कार्यसूची के पद क्रमांक 8 के उपपद 5 पर अंकित अशासकीय संकल्प माननीय सदस्य के अनुरोध पर आगामी शुक्रवार को लिया जायेगा.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय(जावरा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है यह जावरा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित संकल्प है , भले ही प्रस्तुतकर्ता सदस्य अनुपस्थित हैं लेकिन सभी संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हो रहे हैं तो इसे भी सर्वानुमति से स्वीकृत कर दिया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- उसको अगले शुक्रवार को लेंगे.

विधानसभा की कार्यवाही सोमवार दिनाँक 23 फरवरी 2015 को प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 01.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 23, फरवरी 2015 (4 फाल्गुन शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल,
दिनांक : 20 फरवरी 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा